खण्ड-318, अंक-1
सोमवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1897
(28 जुलाई, 1975 ई0)

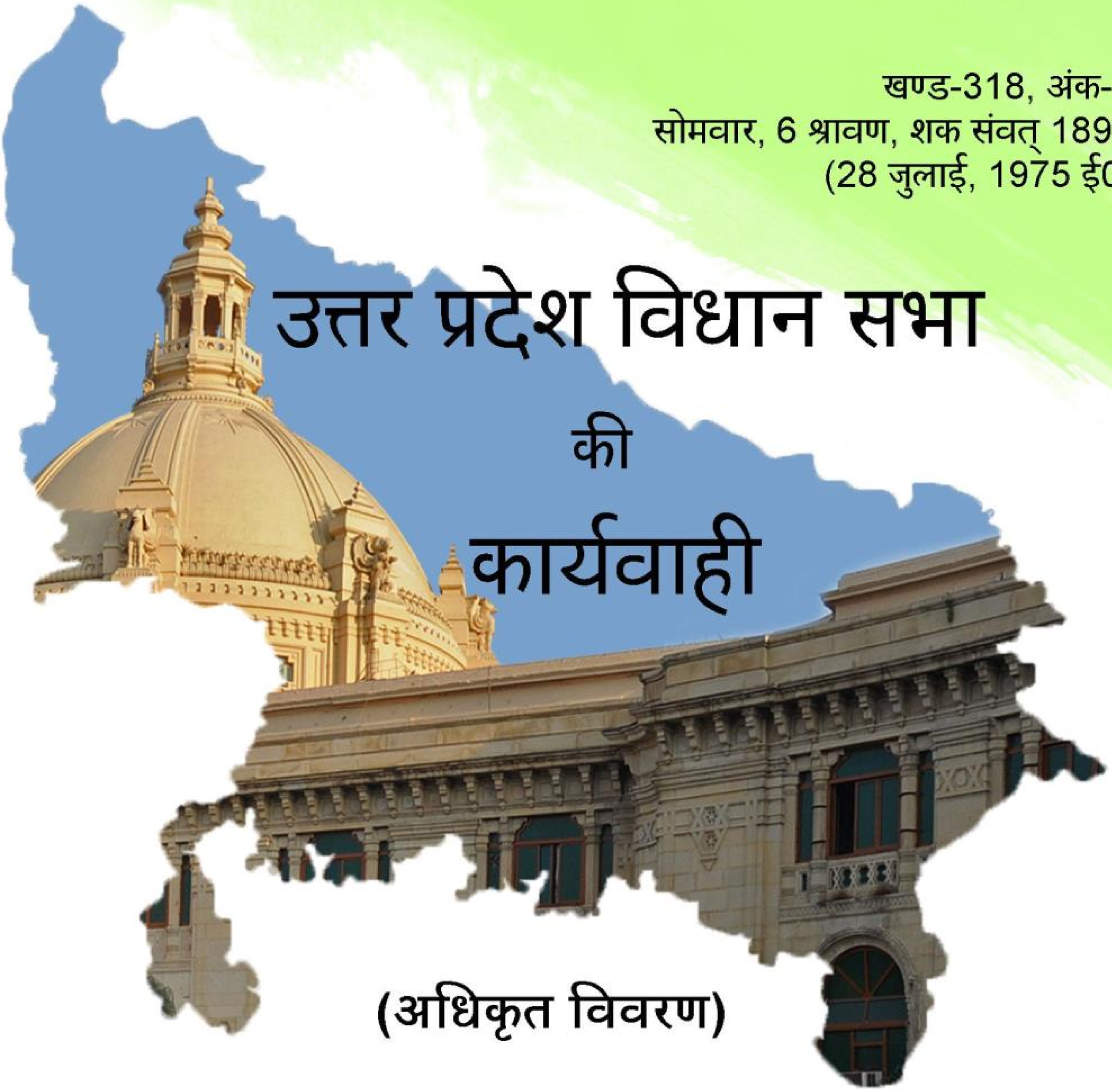

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
8012
cop 2

विषय सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
आपात्कालीन सत्र में केवल सरकारी कार्य सम्पादित करने के सम्बन्ध में संकल्प .. (पारित)	.. ५–८
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध, अध्यादेश, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७५ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१०
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन १९७२–७३ (सदन के पटल पर रखा गया)	१०
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१०
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१०

13506 R.A. 8012

विषय	पृष्ठ संख्या
नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१०
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	११
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	११
संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (सदन के पटल पर रखा गया)	११
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१२
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१२
दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपनी अनुमति विधारित कर देने की घोषणा) ..	१२
सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचनाएं (जारी)	१२
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१३
विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट प्रश्नों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१४-१५
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१५
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (पुरः स्थापित किया गया)	१५-१६
उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध, विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया) ..	१६
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया।)	१६
उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया)	१६
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य	१७-१८
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ .. (विचारोपरान्त पारित)	१८-३२
संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ (विचारोपरान्त पारित)	३२-३३
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक १९७५, .. (विचारोपरान्त पारित)	३३-८६
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८६-८७
सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं	८७
नत्थियां	८८-११७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ जुलाई, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१७

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री

चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर,
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज़ हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्स सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री

राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमन सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

आपात्कालीन सत्र में केवल सरकारी कार्य सम्पादित करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन निश्चय करता है कि क्योंकि विधान सभा का वर्तमान सत्र कतिपय अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करने के लिये आपात्कालीन सत्र के रूप में है, अतएव इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य सम्पादित किया जायगा और किसी भी अन्य प्रकार का कार्य (जिसके अन्तर्गत, प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा किसी असरकारी सदस्य द्वारा उठाये जाने वाला कोई अन्य कार्य शामिल है) इस सत्र के दौरान न तो सदन के समक्ष लाया जायगा और न उसे सम्पादित किया जायगा, और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में इस विषय पर सभी संगत नियम एतद्द्वारा इस सीमा तक निलम्बित रहेंगे।"

मान्यवर, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आज सारे देश में स्थिति पैदा हो गयी है उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और यह देखते हुए कि देश की सीमा के बाहर बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, जो अक्सर छोटी-छोटी बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर देखते रहे हैं—खास कर, बंगला देश की जीत के बाद, अणु शक्ति के हाथ में आने के बाद और सिक्किम के विलय के बाद। इसलिये ऐसी ताकतों तथा तत्वों को शक्ति न मिले इसलिये यहां यह प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है इसके जरिये जब हमारे सारे अधिकार ले लिये जा रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से हम जो यहां आये हैं, हमारी कोई बात जो हम इस सदन में कहना चाहते हैं वह जनता तक न पहुंच पाये तो इस सदन से क्या फायदा? न हम कुछ कह सकते हैं, न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आप बोल रहे हैं।

श्री नियाज हसन खां—

सुनना भी गुनाह है। जब पूरे अधिकार हमारे ले लिये जायं तो मुख्य मंत्री जी से मैं बड़े अदब से पूछना चाहूंगा कि अगर हमारी जगह वह होते तो कैसा महसूस करते? ऐसे हालत में जब हमारी बात जो हम यहां कहें, बाहर छप नहीं सकती है तो ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि सदन में विरोधी दल का भाग लेना कतई मुनासिब नहीं है जब कि हमारे पूरे अधिकार ले लिये जा रहे हों। ऐसी हालत में मैं बड़े अदब के साथ आप से अर्ज करूंगा कि हम लोग इस सदन में भाग नहीं लेंगे और आपकी इजाजत से सदन का त्याग कर रहे हैं।

(कम्युनिस्ट एवं सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को छोड़कर सभी विरोधी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

सत्र भर के लिये जा रहे हैं या थोड़ी देर के लिये?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका म समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। जो परिस्थितियां उन्होंने बतलाई हैं कि इमरजेंसी के कारण यह आपात्कालीन सेशन बुलाया गया है क्योंकि बहुत जरूरी काम करने हैं। इससे मैं सहमत

[श्री भीखा लाल]

है। हमारी पार्टी ने और देश के बहुत से लोगों ने एमरजेंसी का स्वागत किया है और एमरजेंसी के वक्त में एमरजेंसी के तौर पर हमको काम भी करना चाहिये ताकि काम जल्दी निपटाया जा सके। इसमे मैं सहमत हूं लेकिन जो प्रश्नों का मसला है तो एमरजेंसी में प्रश्नों से बाधा नहीं पड़ती है, सरकार जो करना चाहती है उससे उसको मदद मिलती है। प्रश्नों के जरिये से बहुत सी बातें जो सरकार की नोटिस में नहीं आती है, सरकारी प्रशासन की अक्षमतायें, उनकी लापरवाहियां, उनकी कमजोरियां, उनके भ्रष्टाचार के मामले जो कि सरकार की नोटिस में नहीं आते हैं उनको प्रश्नों के जरिये से उसके सामने लाया जाता है और उनका निराकरण होता है, मशीनरी स्वच्छ होती है तथा काम में सुविधा होती है। हम समझते हैं इस इमरजेन्सी के अवसर पर यह और भी आवश्यक है। हमारे प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रशासन ठीक चलना चाहिये, उसमें स्वच्छता आनी चाहिये, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये, उसकी क्षमता बढ़नी चाहिये। इसके लिये आदेश के ऊपर आदेश निकाले जा रहे हैं तब हम समझते हैं कि यह काम और भी जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि कुछ एसे प्रश्न हों जिनका उत्तर देना इस इमरजेन्सी में जनहित में ठीक न हो। ऐसा सरकार कह सकती है और उनका उत्तर आप न दें लेकिन जो उत्तर सरकार के पास आ गये हैं, जो रूटीन के हैं जिन पर सरकार को इन्क्वायरी करनी है या जिन पर इन्क्वायरी हो चुकी है, जिन पर सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ है उनका यहां पर जवाब देने में कोई हानि नहीं है। जो इस सदन ले जरिये से प्रश्नों के द्वारा प्रशासन पर अंकुश लगाया जाता है वह कमजोर हो जायगा। इस वजह से हम समझते हैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसे वे वापस लें। साधारण स्थिति में हम एक–दो घंटे अधिक बैठे सकते हैं। तो इमरजेन्सी में क्यों नहीं बैठ सकते ? १० दिन के काम को ५ दिन में समाप्त कर सकते हैं। कालिंग अटेन्शन मोशन और एडजोर्नमेंट मोशन आप न लें लेकिन प्रशासन में चुस्ती लाने के लिये प्रश्नों के समय को न काटें। उसे अवश्य लें। यह हमारा सुझाव है। प्रश्नों का घन्टा आप हमें दें बाकी सरकारी काम करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता, संगठन कांग्रेस, ने इस सदन में यह कहा कि न तो उन्हें बोलने का मौका है और न सुनने का मौका है। मान्यवर, जब मैंने बोला तो उसे वे सुन रहे थे और जब उन्होंने बोला तो सबने देखा कि वे बोल रहे हैं। जाहिर है, कि पूरी तरह से वे बाहर हैं। किसी ने उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वे स्वतंत्र भी हैं और जो चाहें बोल भी सकते हैं। जहां तक यह प्रश्न था कि लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच सकती, तो यह आप जानते हैं और सबको मालूम है कि इमरजेन्सी के अन्दर जो सेन्सर लगा हुआ है उसमें इस सभा के कक्ष में जो भी हम चाहें विचार व्यक्त कर सकते हैं पर बाहर न तो अखबार में और न रेडियो में ही वह बात आयेगी और छपेगी, सिवाय उन गाइड–लाइन्स के जो कि उसके अन्दर दी हुई हैं। प्रश्नों के रूप में हम किसी भी तरह से कोई प्रश्न लाकर उसे हम यहां पर कह सकें और वह जनता तक पहुंच सके तो वह सम्भव नहीं है। संविधान का अमेन्डमेंट आपके सामने आने वाला है। वह अवसर आयेगा कि प्रोक्लेमेशन के सिलसिले में आप सारी बातें कह सकते हैं। यह भी आप कह सकते हैं, कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। सारी बातें सामने आ सकती हैं कि क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान में इन्दिरा जी के नेतृत्व में हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि हम सबकी आवाज बन्द करें। किसी की आवाज हमने बन्द नहीं की है। जैसा कि आप देखेंगे, वह सब आपके सामने आयेगा। इस सदन के बहुत से सदस्य मौजूद थे आज भी मौजूद हैं। उप नेता भारतीय लोक दल, जनसंघ के प्रतिनिधि आदि लोग सदन में मौजूद थे। आज सबेरे कार्य–मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई उसमें भी भालोद के उप नेता मौजूद थे, जनसंघ के प्रतिनिधि मौजूद थे, सी० पी० आई० के भी रहे होंगे। मैं यह नहीं बता सकता कि और कौन–कौन थे, लेकिन संगठन कांग्रेस के नेता भी उसमें थे। उनकी इच्छा थी कि भालोद का उनमें विलय हो जाय आज वह नोशनल रूप में विलय हो

गया। जो वह मुख्य विरोधी दल के रूप में आना चाहते थे और खास-खास जगहों पर अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहते थे। वह बेचारे एक शरीफ आदमी हैं लेकिन आज जो मुख्य रूप से विलय हुआ है संगठन कांग्रेस में जिसमें वह यहां पर मुखिया बने हैं वह बात सामने आई है। मुझे अफसोस है उनके बाहर जाने में, वह स्वयं बाहर गये हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि भालोद जनसंघ और अन्य दल के लोग सिवाय सी० पी० आई० और सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर जो बाहर गये हैं उसमें इतिहास खुद कहेगा कि इस अवसर के बावजूद यहां अपनी बातें नहीं रखीं। आज तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। जो माननीय नेता सी० पी० आई० ने भी कहा यह भी इतिहास का हिस्सा रहेगा। सौ साल बाद इतिहास यह बतायेगा जो यह बातें हुई हैं यह उचित हुई हैं या अनुचित हुई हैं। यह उस वक्त पता लगेगा कि वे भी यहां पर थे और उन्होंने अपनी बातें कहीं।

मुझे अफसोस है कि यह जो प्रश्नों के संबंध में बात कही वह सिर्फ स्थगित हुए हैं हमेशा के लिये समाप्त नहीं हुए और न ही हमेशा समाप्त होगा और न ही यह विधान सभा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। यह आपात्कालीन स्थिति का दौर है उसमें हर चीज को बचाना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा और फिर दोहराता हूं इस देश के अन्दर होने वाली घटनाओं और इस सदन में होने वाली घटनाओं को जिस तरह से तोड़-मरोड़ कर साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारे देश के बाहर इस्तेमाल किया और भारत के मुख को काला करने का प्रयत्न किया। यही प्रश्न काल और जीरो आवर जो उसके लिए प्रसिद्ध हो गया था। यह जो उत्तर प्रदेश या और किसी विधान सभा या पार्लियामेंट में प्रचलित था साम्राज्यवादी ताकतों ने एक नंगा नाच कराया था, जो सब झूठ था। तो वह अवसर स्पष्ट रूप से हम नहीं देना चाहते हैं। इसमें गुंजाइश होती है गर्मागर्मी की। सेंसर के बारे में हम और आप जानते हैं एक उसके लाईन बनाई है। आप यह भी जानते हैं कि बी० बी० सी० और वायस आफ अमेरिका ने किस प्रकार से झूठा प्रचार किया है। शुरू से वह किस प्रकार का प्रचार करते रहे हैं जिसकी कि थाह पाना मुश्किल है। इसलिए इस अवसर पर यह नादानी की बात होगी कि हम किसी को मौका दें कि हमारी इस स्थिति से वह फायदा उठा सके। हमारे नेता सी० पी० आई० बोले हैं उनका कभी भी इरादा नहीं हो सकता है कि इस प्रकार की ताकतें फायदा उठायें। उनका दल प्रगतिशीलता के संबंध में साम्राज्यवादी ताकतों को पिछाड़ने के लिये इस तरह की रण नीति अपनाने में पीछे नहीं रहेगा। जहां इस तरह की बातें होती हैं हम और वह मिल कर काम करते हैं। जहां तक अच्छी बातें करने को हों या जो खराबियां हैं उनको बतायें। हर एक सदस्य उसके लिये मंत्रियों के पास जा सकता है और उनसे कह सकता है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको हम बैठ कर आसानी से तय कर लेते हैं और करते हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। माननीय भीखा लाल जी ने जो सुझाव रखा है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस में उनकी राय मानने के लिए असमर्थ हूं। उसके लिये यह अवसर नहीं है कि उनकी बात को स्वीकार कर सकूं और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन निश्चय करता है कि क्योंकि विधान सभा का वर्तमान सत्र कतिपय अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करने के लिये आपात्कालीन सत्र के रूप में है, अतएव इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य सम्पादित किया जायगा और किसी भी अन्य प्रकार का कार्य (जिसके अन्तर्गत प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा किसी असरकारी सदस्य द्वारा उठाये जाने वाला कोई अन्य कार्य शामिल है) इस सत्र के दौरान न तो सदन के समक्ष लाया जायेगा और न उसे सम्पादित किया जायगा, और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में इस विषय पर सभी संगत नियम एतद्द्वारा इस सीमा तक निलम्बित रहेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--

मान्यवर, सर्वसम्मति से हुआ माना जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे यहां तो एक ही तरीका है सर्व-सम्मति से हो या बहुमत से हो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यों जो आपके नियम हों, जो आपका तरीका हो, उस भांति आप करेंगे ही लेकिन मैं चाहूंगा कि यह प्रोसीडिंग में चला जाए कि इस प्रस्ताव का किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। इस अति असाधारण स्थिति को इतिहास की नजरों में स्पष्ट दिखाने के लिये उसे और साफ कर दिया जाए कि यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है यह सर्वसम्मति से पास हुआ, इसमें किसी का विरोध तो है नहीं।

श्री भीखालाल--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५†

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, अध्यादेश, १९७५†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५†

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं तथा गढ़वाल जल, (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध, अध्यादेश, १९७५†

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अध्यादेश, १९७५ को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७५†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–१ की अधिसूचना संख्या २–१ (९)–७४––राजस्व–१, दिनांक १७ जनवरी, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था चतुर्थ संशोधन नियमावली, १९७५ को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, १९७२-७३††

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन १९७२–७३ को लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या २७६३–सं/सत्रह–७४––१६६–सं–७४, दिनांक २ सितम्बर, १९७४ द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों की (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को, उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) का अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–१ की अधिसूचना संख्या १९६–११–३ (११)–७३–राजस्व–१, दिनांक २७ जून, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७४, जो दिनांक ३० दिसम्बर, १९७४ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन में रखे रहने की कालावधि सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

नगरमहापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, १९७४†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका अनुभाग–६ की अधिसूचना संख्या ४९२४–बी/११–७४––२५६–७३, दिनांक २६ अगस्त, १९७४, द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, लखनऊ चुंगी नियमावली, १९७४, को जो दिनांक ३० दिसम्बर, १९७४ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन में रखे रहने की कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ११/११-३ (२)-७३--राजस्व-१, दिनांक २० जुलाई, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४, जो दिनांक २६ दिसम्बर, १९७४ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन में रखे रहने की कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुयी, को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या ९८/११-३(६)-७३--राजस्व-१, दिनांक १९ अक्तूबर, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ जो सदन के पटल पर दिनांक २६ दिसम्बर, १९७४ को रखी गयी थी और जिसके सदन में रखे रहने की कालावधि सदन का सत्रावसान न हो जाने के कारण.....

श्री अध्यक्ष--

"न" गलत छप गया है, "सत्रावसान हो जाने के कारण"।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिए...

श्री अध्यक्ष--

"भारत का संविधान" में किये जाने के लिए.....

सचिव, विधान सभा--

"भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खण्ड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त संचार तथा उक्त विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १८२(१) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २८ अप्रैल, १९७५ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ अप्रैल, १९७५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३० अप्रैल, १९७५ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ अप्रैल, १९७५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २९ अप्रैल, १९७५ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २ मई, १९७५ को प्राप्त हो गयी है, और वह सन् १९७५ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयक, १९७४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषन् ने अपनी दिनांक २१ जून, १९७४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३० जुलाई, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय ने अपनी अनुमति विधारित कर दी है।

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें। इस सम्बन्ध में सूचना माननीय सदस्यों को विधान सभा बुलेटिन संख्या ७, ८ तथा ९ द्वारा मिल चुकी है।

अत : इस सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ८८ पर)

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

आप उनका नाम कहां तक पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष--

नाम पढने की आवश्यकता नहीं हैं। ४ गिरफ्तारियां हुई हैं, वह भी नाम कल सूचित कर दिये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा दिनांक २७ अप्रैल, १९७५ को भेजी गयी तथा इस सचिवालय में दिनांक २८ अप्रैल, १९७५ को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम मिश्रा (कानपुर) दिनांक २७ अप्रैल, १९७५ को भारतीय दन्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत कानपुर म गिरफ्तार किये गये तथा वे उक्त धारा के अन्तर्गत दोषी पाये गये। उनको न्यायालय उठने तक की सजा दी गयी, तत्पश्चात् वे रिहा किये गये।

यह सूचना माननीय सदस्यों को बुलेटिन संख्या, ६ द्वारा १७ मई, १९७५ को दी जा चुकी है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज प्रात : हमारे कक्ष में जो कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हुई थी उसके निर्णय से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी २८ जुलाई, १९७५ की बैठक में निम्न लिखित कार्य-क्रम स्वीकार किया है —

२८–७–१९७५ .. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(१) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) बिधेयक, १९७४,

(२) संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५,

(३) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७५,

२९–७–१९७५ .. १—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(१) उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५,

(२) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५,

(३) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५,

(४) कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक १९७५।

२—स्थायी समितियों के निर्वाचन, गठन तथा कार्य-विधि नियमावली के नियम १ के खंड (क) में संशोधन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष ने दी है, से सहमति प्रकट करता हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष ने दी है, से सहमति प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(स्वायत्त शासन मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर श्री बलदेव सिंह आर्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी इसके सभापति हैं। अत : वे ही उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कल ले लिया जायेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) —

वह अपर हाउस में है।

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट प्रश्नों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा श्री हरि राम श्रीमाली तथा श्री प्रेम पाल सिंह रावत (बालयोगेश्वर) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ८ मई, १९७३ को पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, और श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कृष्ण पाल तथा श्री शिशुपाल सिंह, सब-इन्स्पेक्टर्स पुलिस थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को ९ मई, १९७३ को निर्दिष्ट हुआ था, और इन प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा ३१ जनवरी, १९७४ तक समय बढ़ाया गया था तथा पंचम विधान सभा के विघटन के बाद उक्त प्रश्नों को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा १४ मार्च, १९७४ को षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को १ जुलाई, १९७४ को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को २६ जुलाई, १९७४ को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सदन के १९ फरवरी, १९७५ के निश्चयानुसार ६ मास का समय बढ़ाया गया ;

और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त ६ मास के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ न हो सकी ;

और चूंकि सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबू लाल वर्मा, दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २७ फरवरी, १९७५ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री दीप नारायण पांडेय एवं श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध सदन का अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २५ मार्च, १९७५ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री डी० पी० वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १५ अप्रैल, १९७५ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि सदन के २८ अप्रैल, १९७५ के निश्चयानुसार उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था ;

और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है ;

अत : सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आइटम ३० की आठवीं पंक्ति में शब्द "विघटन" का प्रयोग किया गया है। मेरे विचार में इसके स्थान पर "सत्रावसान" होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह तो पुराना मामला है। शब्द "विघटन" ठीक लिखा है।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ को वापस लेने का प्रस्ताव

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक २० फरवरी, १९७५ को पुर:स्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

कारण तो बता दें कि क्यों वापस ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक २० फरवरी, १९७५ को पुर:स्थापित किया गया था को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १०० पर)

उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध, विधेयक, १९७५

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १०६ पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५

न्याय मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटस पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ १०८ पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ट ११० पर)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

इस प्रदेश में ३ जुलाई, १९७५ से घाघरा, राप्ती और अन्य सहायक नदियों में पानी का चढ़ाव शुरू हो गया जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस बाढ़ का मुख्य कारण इस वर्ष हुई अतिवृष्टि था जिसके परिणाम-स्वरूप प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में नदियों का जल स्तर बढ़ना प्रारम्भ हो गया और जल-प्लावन एवं बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। बाढ़ का प्रकोप प्रदेश के निम्न जिलों में मुख्य रूप से रहा :

बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़। इसके अतिरिक्त शारदा नदी में स्तर के बढ़ने के कारण सीतापुर और खीरी जिलों के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में राजस्थान में व्यापक रूप से बाढ़ आ जाने के कारण आगरा जिले की किरावली तहसील में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

२--आगरा जिले में बाढ़ की स्थिति की सम्भावनाओं को देखते हुये इस वर्ष किरावली और दौलताबाद में दो अतिरिक्त वायरलेस सेट्स लगा दिये गये थे ताकि प्रभावित क्षेत्र के लोगों से सम्पर्क बनाये रखने में जिला प्रशासन को सुविधा रहे। सीतापुर में बरगढ़िया घाट, भटपुरवा घाट, बरेली में धौरा और पीलीभीत जिले में शारदा सहायक बांध तथा बनबसा बैराज पर भी अतिरिक्त वायरलेस सेटों की व्यवस्था करवाई गई।

३--अब बाढ़ की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इन क्षतिग्रस्त जिलों में सबसे अधिक ग्राम बस्ती जिले में प्रभावित हुये हैं। बस्ती जिले में २,६९७ गांव व ७,९७,२०० जन-संख्या प्रभावति हुई। पूरे प्रदेश में ६,९०८ ग्राम बाढ़ के चपेट में आये जिससे २१,८७,४९९ लोग (जन-संख्या) प्रभावित हुये और २०,०२,८०१ एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ जिलेवार विवरण संलग्न है। जिन मकानों को अभी तक अंशत : या पूर्णत : क्षति पहुंची उनकी संख्या १७,०९४ है। प्रदेश में इस बाढ़ के कारण १८ मनुष्यों और १०६ पशुओं के जीवन हानि की सूचना मिली है। मृतकों के परिवारों को आवश्यक सहायता दी गयी। जीवन-हानि का मुख्य कारण मकान का गिरना या आकस्मिक दुर्घटना थी।

४--प्रदेश सरकार ने इन जिलों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिये सहायता-कार्यों को त्वरित गति से किया। स्थिति पर पूरी निगाह रक्खी गयी और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को चालू वित्तीय वर्ष में राहत कार्यों के लिये १९ लाख रुपये की सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त १४,०८,००० रुपये का तकावी आबंटन भी किया गया। मुख्यालय से बांधों के कटने की आशंका की सूचना जहां-जहां से प्राप्त हुई वहां वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया और समय से कटानों को रोकने के लिये प्रबन्ध किये गये।

इसी तरह चिकित्सा अधिकारियों को भी मुख्यालय से चिकित्सा सम्बन्धी राहत के लिये भेजा गया जिसके परिणाम-स्वरूप प्रदेश में व्यापक रूप से कोई महामारी नहीं फैल सकी। अब बाढ़ घट रही है पर चिकित्सा सम्बन्धी राहत के लिये विशेष बल दिया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिये नावों की व्यवस्था की गयी। लगभग २ हजार नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये लगायी गयीं और फैजाबाद में मोटर बोट द्वारा भी यह कार्य किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ३३ हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और ८ हजार से अधिक पशुओं को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे चना, नमक, माचिस, मिट्टी का तेल आदि का वितरण भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों में किया गया। उदाहरण के लिये केवल बस्ती जिले में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को ३२० कुन्टल चना, १३

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

कुन्तल नमक, ५२ ग्रुस माचिस तथा मिट्टी का तेल बांटा गया। इसके अतिरिक्त बस्ती जिले में १७९ साड़ियां और १२६ धोतियां भी वितरित की गयीं।

५—बाढ़ के आते ही जिले की बाढ़ योजनाओं के अनुसार तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। राहत कार्य अभी भी जारी है। इस समय स्थिति पूर्णत: नियन्त्रण में है।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सन् १९७५ में बाढ़ से क्षति का विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	जन-संख्या	जीवन हानि	
				मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५	६
१	बस्ती ..	२,६९७	७,९७,२००	३	२
२	बहराइच ..	९९६	३,३७,०४४	३	५५
३	गोण्डा ..	८९८	२,२५,०००	६	३
४	गोरखपुर ..	८२८	२,२२,४८०	१	..
५	देवरिया ..	३१०	१,१४,०२५	२	..
६	बाराबंकी ..	२३५	१,१५,७७०	..	..
७	आजमगढ़ ..	२२८	१,१४,२१५	१	..
८	बलिया ..	१९९	७९,७०५	१	..
९	खीरी ..	१५६	४६,४००	१	४५
१०	सीतापुर ..	१४४	८०,०००	..	..
११	फैजाबाद ..	१४२	९,०४५	..	..
१२	आगरा ..	७५	४६,६१५	..	१
	योग ..	६,९०८	२१,८७,४९९	१८	१०६

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४†

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसके लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि यह पूरा सदन अवगत है कि जब यहां पर पी०ए०सी०का एक रिवोल्ट हुआ था और जांच की गयी तो उसके दौरान यह मालूम हुआ कि रजिस्ट्रार को इसका कोई अधिकार ही नहीं था कि अगर कोई पार्टी या संस्था रजिस्ट्रेशन के लिये उनके पास कागजात भेजे तो वह इन्कार कर सके। इसी तरह से यहां

†२० अगस्त, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो प्रिन्स आफ वेल्स जूलोजिकल गार्डेन्स, लखनऊ है उसके नाम परिवर्तन की बात है। लेकिन रजिस्ट्रार को यह भी अधिकार नहीं है कि वह नाम को बदल सकें। आगे जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला कि रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं कि अगर एक दफा कोई सोसाइटी रजिस्टर हो गयी लेकिन रजिस्ट्रेशन की शर्तें उसने पूरी नहीं कीं तो हम उसके रजिस्ट्रेशन को कैन्सिल ही नहीं कर सकते। बहुत सी सोसाइटीज में मिसमैनेजमेंट होते हुये भी रजिस्ट्रार को न इन्सपेक्शन कराने का अधिकार था न आडिट कराने का। इस संशोधन के माध्यम से रजिस्ट्रार को यह अधिकार दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के हर दो वर्ष बाद वह पुनरीक्षित करें ओर देखें कि उन्होंने शर्तों को पूरा किया या नहीं। अगर शर्तों को पूरा नहीं किया तो उनके रजिस्ट्रेशन को कैन्सिल कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो भी परिवर्तन होगा ३० दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को सूचना दी जायगी। हमने उन परिस्थितियों का भी इसमें जिक्र किया है जिनके माध्यम से हम सोसाइटी का नाम परिवर्तित कर सकेंगे। इस संशोधन विधेयक के द्वारा अभी तक जिन चीजों को करने की आवश्यकता थी लेकिन कानून की खामियों की वजह से नहीं कर सकते थे वह अब कर सकेंगे। खासकर पी० ए० सी० के रिवोल्ट ने इतना बड़ा जोल्ट दिया कि हम मजबूर हुये इनको सोचने के लिये वरना य सब चीजें वैसी ही चली आतीं। तो इसी वजह से यह परिवर्तन करना प ा। आशा है यह सारा सदन एक मत से इसे स्वीकार करेगा क्योंकि जनहित में इसका पास होना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय धर्मवीर ने अपना संशोधन बहुत देर से दिया है, इस बार तो मैं इजाजत दे रहा हूं, भविष्य में वे समय से दिया करें।

दूसरा जो है, उसके बारे में मैं माननीय निर्भय नारायण सिंह जी से कहूंगा कि वे माननीय मन्त्री जी से बात कर लें कि वे क्या चाहते हैं। आप शायद ठीक समझे नहीं हैं..

श्री राजमंगल पाण्डेय--

६ माह के स्थान पर साल भर करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो संशोधन एक जगह के लिये तो आया है, दूसरी जगह के लिये भी तो आना चाहिये। इस वक्त भी मैं इजाजत दे दूंगा, आप ठीक करके अपना संशोधन दे दें।

श्री ऊदल--

आप उसे करेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष--

बाद में मेरे पास ही तो आयेगा अगर त्रुटि रह जायेगी। इसीलिये तो मैं कह रहा हूं उसे ठीक करके लाइये।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

दो स्थानों पर एक वर्ष होगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय धर्मवीर जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखा है --सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ के खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा

[श्री अध्यक्ष]

३ के स्थान पर नयी रखी जाने वाली धारा ३ की उप धारा (२) के पश्चात् निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :—

स्पष्टीकरण—"इस अधिनियम में शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियां राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जायं।"

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी थोड़ा समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी भेज दीजियेगा क्योंकि संशोधन का प्रस्ताव अभी दिया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी के प्रस्ताव द्वारा पहले ही आपको अधिकार दे दिया गया है कि जहां-जहां जरूरत पड़े नियमों को ठीक करके सरकारी काम का आप सम्पादन करें, तो फिर क्यों आप बार-बार इसके लिये ऐसा कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय काशीनाथ मिश्र जी की सहायता भी समय-समय पर ले ली जाय तो इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

आपको अधिकार देने में तो एतराज का कोई प्रश्न ही नहीं है, अगर यह अधिकार माननीय काशीनाथ जी भी ले लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

१८६० के अधिनियम संख्या २१ की धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"३—(१) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय के पते के, जो उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा, ब्योरे सहित ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये एक सौ रुपये की फीस संदत्त की जायगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमन्त्रित करने के लिये, स्वविवेकानुसार लोक सूचना, अथवा ऐसे व्यक्तियों

को, जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकेगा और सोसाइटी की रजिस्ट्री करने के पूर्व अपने द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर सकेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा, यदि सोसाइटी को इस प्रकार इन्कार किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि :—

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के नाम के ठीक समान है ;

(ख) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसके नाम में किसी ऐसे शब्द अर्थात्, "संघ", "राज्य", "भूमि बन्धक", "भूमि विकास", "सहकारिता", "गांधी", "रिजर्व बैंक", का अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या संरक्षण अभिव्यक्त या अन्तर्हित करने वाले किसी शब्द का, अथवा किसी ऐसे शब्द का जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय से कोई सम्बन्ध इंगित हो अथवा इंगित प्रकल्पित हो, प्रयोग किया गया है, अथवा उसका नाम ऐसा है, जिससे जनता के या इस अधिनियमम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों के अन्यथा प्रवंचित होना सम्भाव्य है ;

(ग) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसका कोई एक या एकाधिक उद्देश्य धारा १ तथा २० में उल्लिखित उद्देश्य नहीं हैं, अथवा

(घ) उसके उद्देश्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं।"

नई धारा ३-क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण

"३-क(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा ३ के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा।

(२) धारा ३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हुई हो, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन देने तथा उप धारा (३) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को एक बार में दो वर्षों के लिये नवीकृत कराने की हकदार होगी :

परन्तु उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार कर देगा यदि उसे इस प्रकार इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाय कि धारा ३ की

उपधारा (२) में उल्लिखित कारणों में से कोई भी कारण उसके सम्बन्ध में विद्यमान है।

(३) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित संदत्त किया जायगा:—

(क) दस रुपये की फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ख) पांच रुपये की अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर दाखिल किया जाय ;

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो रुपये की दर से अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाय।

(४) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ वह प्रमाण पत्र होगा जिसे नवीकृत कराना है जब तक कि रजिस्ट्रार उसके हानि या उसके नाश हो जाने के आधार पर अथवा अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमुक्त न कर दे।

(५) कोई सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के छः मास के भीतर इस धारा के अनुसार नवीकृत नहीं कराती, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण से, उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के पश्चात् छः मास से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी नवीकरण के लिये आवेदन पचास रुपये की फीस देने पर मंजूर कर सकेगा।

(६) जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण उपधारा (२) या उपधारा (५) के अनुसार किया जाय तो ऐसा नवीकरण उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के दिनांक से प्रवृत्त होगा।"

श्री अध्यक्ष—

अब खंडों पर विचार होगा।

(श्री धर्मवीर का नाम पुकारने पर।)

श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले श्री धर्मवीर को अपना संशोधन रखना चाहिये। वे बीच में उठ कर कहां चले गये ? आज तो पहला दिन है इसलिये मैंने यह संशोधन ले लिया बिना पूर्व सूचना के, लेकिन आइन्दा मैं इस तरह से संशोधन नहीं लूंगा। यह माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी होगी।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ के खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर नयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखी जाने वाली धारा ३ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियां, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जायं।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर नयी रखी जाने वाली धारा ३ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियां, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री निर्भय नारायन सिंह—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:—

सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ के खंड ३ द्वारा बढ़ायी जाने वाली नई धारा ३-क की उपधारा (५) तथा परन्तुक में शब्द 'छः मास' के स्थान पर शब्द 'एक वर्ष' रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा बढ़ायी जाने वाली नयी धारा ३-क की उपधारा (५) तथा परन्तुक में शब्द 'छः मास' के स्थान पर शब्द 'एक वर्ष' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ तथा संशोधित खंड ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ से १२

धारा ४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४ को पुनः सख्यांकित करके उसको उपधारा (१) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के संतुलन-पत्र की एक प्रति भी भेजी जायगी।"

नयी धारा ४-क का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नियमों में परिवर्तन आदि की सूचना रजिस्ट्रार को दी जायगी

"४-क—सोसाइटी के नियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति और सोसाइटी के पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, जो शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा प्रमाणित हों, परिवर्तन किये जाने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायगी।"

नयी धारा १२-क, १२-ख, १२-ग और १२-घ का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

नाम में परिवर्तन

"१२-क—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की सम्मति, इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

नाम में परिवर्तन की सूचना

१२-ख—(१) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सोसाइटी के सचिव तथा किन्हीं अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, रजिस्ट्रार को भेजी जायगी।

(२) जहां कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि सोसाइटी के नाम के सम्बन्ध में और नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है वहां वह धारा १२-ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नाम में परिवर्तन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से प्रभावी होगा।

नाम में परिवर्तन का प्रभाव

१२-ग—किसी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां त्रुटियुक्त होंगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती थी, या प्रारम्भ की जा सकती थी, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उस नये नाम से जारी रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी।

कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

१२-घ—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रद्द कर सकेगा :—

(क) सोसाइटी का या उसके नाम का या उसके नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल था ;

(ख) उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रियाकलाप समिति के उद्देश्यों का विनाश करने वाले अथवा लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या हैं, या होंगे :

परन्तु किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम या उद्देश्यों

में परिवर्तन करने अथवा उसके सम्बन्ध में, किये जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।"

धारा १३ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द "सोसाइटी का मुख्यभवन" के स्थान पर शब्द "सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" रख दिये जायें।

नई धारा १३-क तथा १३-ख का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

विघटन के लिये आवेदन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

"१३-क—(१) जहां कि रजिस्ट्रार की राय में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि धारा १३-ख की उपधारा (१) के खण्ड (क) से (ङ) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार विद्यमान है वहां वह सोसाइटी को नोटिस भेजेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उतने समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताये कि सोसाइटी विघटित क्यों न कर दी जाय।

(२) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करें, सोसाइटी कोई कारण बताने में असफल रहती है अथवा बताये गये कारण को रजिस्ट्रार असन्तोष जनक समझे तो रजिस्ट्रार धारा १३ में निर्दिष्ट न्यायालय को, सोसाइटी के विघटन का आदेश देने के लिये समावेदन कर सकेगा।

न्यायालय द्वारा विघटन

१३-ख—(१) धारा १३-क या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के एक बटा दस से अन्यून सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन पर धारा १३ में निर्दिष्ट न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन का आदेश दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी का विघटन किया जाय;

(ख) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घटकर सात से कम हो गई है;

(ग) सोसाइटी ने ऐसे आवेदन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक से कार्य करना बन्द कर दिया है;

(घ) सोसाइटी अपने ऋणों का संदाय करने में अथवा अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है; या

(ङ) सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा १२-घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उससे क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रियाकलाप लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या हैं, अथवा होंगे।

(२) उपधारा (१) या धारा १२–घ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के तदर्थ आवेदन पर, सोसाइटी का इस आधार पर विघटन करने का आदेश दे सकेगा कि सोसाइटी के क्रिया-कलापों से लोक न्यूसेंस होता है, अथवा अन्यथा लोक नीति के विरुद्ध है।

(३) जब उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन सोसाइटी के विघटन का आदेश दिया जाय तब सोसाइटी की सम्पत्ति, उसके दावों तथा दायित्वों और उसके कामकाज के अन्य किसी समायोजन, के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई ऐसी रीति से होगी जो न्यायालय निदेशित करे।"

नयी धारा १४–क का बढ़ाया जाना

९––मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"१४–क––धारा १४ में किसी बात के होते हुए भी, धारा १३ के अधीन विघटित किसी समिति के सदस्यों के लिये ऐसी समिति के विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, यह अवधारित करना विधिपूर्ण होगा कि सब ऋणों और दायित्वों की तृष्टि के पश्चात् बची हुई कोई भी सम्पत्ति धारा १ में निर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के निमित्त उपयोग करने के लिये सरकार को दे दी जायगी।"

विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का निपटारा

नयी धारा १६––क का बढ़ाया जाना

१०––मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"१६–क––कोई व्यक्ति जो अननुमोचित दिवालिया हो अथवा जिसे किसी सोसाइटी या निगमित निकाय के बनाये जाने, उसकी प्रोन्नति, उसके प्रबन्ध अथवा कामकाज का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिये, या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए, सिद्ध दोष ठहराया गया हो, शासी निकाय या सदस्य या सोसाइटी का प्रधान, सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने और होने के लिये अनर्ह होगा।"

सोसाइटी का पद धारण करने के लिये अनर्हता

धारा १९ का संशोधन

११––मूल अधिनियम की धारा १९ में–

(१) शब्द "हर निरीक्षण के लिए एक रुपये की फीस देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जायें, और

(२) शब्द "ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये दो आने देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जाएं।

नयी धारा २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ और ३३ का बढ़ाया जाना।

१२––मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :––

"२२––(१)––रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन उस सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्हीं दस्तावेजों के सम्बन्ध में लिखित रूप से ऐसी सूचना या दस्तावेज, ऐसे समय के भीतर जो सोसाइटी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह से अन्यून्य हो,

रजिस्ट्रार की सूचना मांगने की शक्ति

जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(२) सोसाइटी द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने पर, प्रधान, सचिव या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

सम्परीक्षा

२३—(१) धारा ४ की उपधारा (२) या धारा २२ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष का अपना लेखा, अथवा किसी विशिष्ट वर्ष के अपने आय-व्यय के विवरण की प्रति जो किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार सोसाइटी के अनुरोध पर ऐसे लेखे तथा विवरण को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह अनुमोदित करे सम्परीक्षित कराने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(२) यदि सोसाइटी उपधारा (१) में निर्दिष्ट लेखों को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी रजिस्ट्रार समय-समय पर अनुज्ञा दें, प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष के लेखों की सम्परीक्षा करा सकेगा और ऐसी सम्परीक्षा के खर्चे उस सोसाइटी से वसूल कर सकेगा ।

(३) यदि सोसाइटी उपधारा (२) के अधीन सम्परीक्षा के लिये अपने लेखों या अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध करानें में उपेक्षा करती हैं या उससे इन्कार करती है अथवा, रजिस्ट्रार की राय में सम्यक शीघ्रता से सम्परीक्षा किये जाने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार धारा २४ के अधीन कार्रवाई कर सकेगा ।

सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण

२४—(१) जहां कि धारा २२ के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर या धारा २३ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय हो कि इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का काम काज इस प्रकार संचालित किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी का उद्देश्य विफल हो सकता है या सोसाइटी अथवा उसकी शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या उसका ऐसा कोई अधिकारी जिसका सोसाइटी पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण है, उसके काम काज का कुप्रबन्ध करने का अथवा वैश्वासिक या उसी प्रकार की अन्य बाध्यता को भंग करने का दोषी है तो रजिस्ट्रार, या तो स्वयं अथवा अपने द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के काम काज का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकगा अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा ।

(२) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि जब रजिस्ट्रार या उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो वह सोसाइटी के अथवा उससे संबंधित कोई लेखा पुस्तक तथा अन्य अभिलेख जो उसकी अभिरक्षा में हों, प्रस्तुत करे और उसे ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के सम्बन्ध में सभी सहायता दे ।

(३) रजिस्ट्रार या उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के काम काज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी को बुला सकेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा और प्रत्येक अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी का, जब वह बुलाया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी परीक्षा के लिये उसके समक्ष उपस्थित हो।

(४) यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण, की समाप्ति पर निरीक्षण या अन्वेषण के लिये रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हों, रजिस्ट्रार को अपने निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट देगा।

(५) रजिस्ट्रार ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के पश्चात् सोसाइटी या उसके शासी निकाय या उसके किसी अधिकारी को किन्हीं त्रुटियों या अनियमितताओं को, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, दूर करने के लिये ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे निदेशों के अनुसार कार्रवाई करने में व्यतिक्रम होने की दशा में रजिस्ट्रार यथास्थिति, धारा १२–घ या धारा १३–ख, के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद।

२५—(१) विहित प्राधिकारी, रजिस्ट्रार द्वारा या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के कम से कम एक–चौथाई सदस्यों द्वारा, उसे निर्देश दिये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन या पद पर बने रहने के सम्बन्ध में शंका और विवाद की सुनवाई और विनिश्चय संक्षिप्त तौर पर कर सकेगा, और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उचित समझें।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन किये गये आदेश से कोई निर्वाचन अपास्त कर दिया जाय अथवा यह तय किया जाय कि कोई पदाधिकारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं रह गया है, या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह ऐसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का अधिवेशन ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों का निर्वाचन करने के लिये बुला सकेगा और ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता और उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा, और अधिवेशन तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध में सोसाइटी के नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिष्कार के साथ लागू होंगे।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन बुलाया जाय तो निर्वाचन के प्रयोजन के लिये कोई अन्य अधिवेशन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या न्यायालय अभिप्रेत है।

दान की शर्त का अनुपालन किया जाना

२६—जहां कि कोई सोसाइटी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति से धन या किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान या संदान स्वीकार करती है वहां वह दान या संदान किये गये धन या अन्य सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रार की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगी जो ऐसी सहमति देने से तब तक के सिवाय इन्कार कर देगा, जब उसका यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन जिसके लिये दान दिया गया था, सोसाइटी द्वारा निष्पादन किये जाने के योग्य नहीं है।

२७—कोई व्यक्ति जो—

शास्तियां

(क) धारा ४ या ४—क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी सूची या किसी विवरण, या नियमों को अथवा नियमों में परिवर्तन की प्रति या अन्य सूचना में कोई मिथ्या प्रविष्टि या उससे लोप जानबूझकर करेगा अथवा करायेगा ;

(ख) धारा २३ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई लेखा या विवरण देने में जानबूझ कर असफल रहेगा अथवा उक्त उपधारा के अनुपालन में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या है और जिन्हें वह या तो मिथ्या जानता है या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता था जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता;

(ग) धारा २३ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार संपरीक्षा क लिये अपना लेखा उपलब्ध कराने मे उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा ;

(घ) धारा २४ की उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित कोई लेखा पुस्तक या अन्य अभिलेख पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा;

(ङ) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में जानबूझकर असफल रहेगा, अथवा धारा २४ की उपधारा (३) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा ;
वह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

प्रक्रिया

२८—कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और न रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश से लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान किया जायगा।

अपराधों का प्रशमन

२९—(१) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो कि उसने धारा २७ के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है या जिसके विरुद्ध उस धारा के अधीन कोई अभियोग संस्थित किया गया है, ऐसे अपराध के लिये जिसके ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने का संदेह है या जिसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया है प्रशमन फीस के रूप में कोई धनराशि स्वीकार कर सकगा।

(२) ऐसी प्रशमन फीस का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग संस्थित किया गया हो तो प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि उसे दोष मुक्त कर दिया जायेगा।

फीस देने की रीति

३०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से दी जायगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय ।

परित्राण

३१—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार, रजिस्ट्रार या धारा २४ के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न होगी ।

रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस आदि तामील करने की रीति

३२—(१) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले कोई नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा जो किसी सोसाइटी या उसके शासी निकाय के लिये हों, सोसाइटी के सचिव पर तामील की जा सकेगी, और जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे सचिव पर तामील किया जाना उतना ही प्रभावी होगा मानो वह, यथास्थिति, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर या उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य पर तामील किया गया हो ।

(२) सोसाइटी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से ऐसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा भेजना सोसाइटी पर पर्याप्त रूप से उसकी तामील माना जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

३३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये जिसका विस्तारण उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे उपान्तरों या बातिलकरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलकरण उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव डाले बिना होगा ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ तथा खंड १२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६०, का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब से यह शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज ऐक्ट १८८६, हमारे क्रिश्चियन और नान-क्रिश्चियन सोसाइटीज, जो रजिस्ट्रेशन इन्डिपेंडेंस के बाद हुए उनके मेन आब्जेक्ट्स बहुत सारे बदल दिये हैं। जब रजिस्ट्रार के पास अमेंडमेंट्स भेजते हैं तो रजिस्ट्रार कहता है कि मेरे पास कोई आर्डर नहीं हैं, जो कि म रजिस्टर्ड करूं। जो कोई अमेंडमेंट्स हुये हैं। सोसाइटीज ऐक्ट में वह नहीं मिल रहे हैं। ऐज ए नान मेम्बर आफ सोसाइटी मैं पूछना चाहता हूं, मैं रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दूं, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट चाहिये, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हुये हैं ४७ के बाद वह मिल नहीं रहे हैं। तो मंत्री महोदय बता दें कि जो भी अमेंडमेंट हुये हैं, रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी फाइल में वह मिलेंगे या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं यह बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर उनके पास अमेंडमेंट्स नहीं पहुंचे हैं तो मुझे बता दें मैं सारे ओरीजनल ऐक्ट में जो अमेंडमेंट्स अब तक हुये हैं . . . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय ग्राइस साहब का जो कहना है कि अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अगर बाई-लाज में कोई अमेंडमेंट करते हैं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यही बात इसमें है।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं . . . . . .

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह पहले से ही है, आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं लेकिन अमेंडमेंट जो उसका ओरीजनल परपज है उसको कांट्राडिक्ट न करें तो अमेंडमेंट की गुंजाइश है। आपको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि अधिकार न हो।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मान्यवर, सेक्शन १२ सोसाइटीज ऐक्ट यह कहता है कि जो आब्जेक्ट्स में अमेन्डमेन्ट करना है उसके फुल डिटेल्स मेम्बर को दें और ३० दिन के बाद अमेन्डमेन्ट्स को कन्फर्म कर सकते हैं। अमेन्डमेटस रजिस्ट्रार के पास होने चाहिये। लेकिन रजिस्ट्रार कहता है कि उनसे मुझको मतलब नहीं है। ओरिजनल के ऊपर मैं नहीं रखूंगा। मुझे नान मेम्बर आफ दि सोसाइटी से पता चला है कि किसी सोसाइटी में ओरिजनल आब्जेक्ट्स को बदल दिया है और इल्लीगल होता है, उनको सभी अमेन्डमेन्ट का पता नहीं लगता है इसलिये रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर नहीं करता है। वे लोग मिस एप्रोप्रिएशन आफ प्रापर्टी करते हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, किसी को न करने के लिये हम नहीं कहते हैं। ३० दिन के अन्दर अमेन्डमेन्ट्स को नोटीफाइड करें ऐसा हमने किया है। यदि ऐसा नहीं है तो आप कम्पलेन्ट करें तो उसको देखूंगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ †

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस अधिनियम के द्वारा संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ मंदिर समिति को अधिकार दिया गया था कि समिति स्वच्छता और बद्रीनाथ नगर के सुधार सम्बन्धी कामों को भी करे। बद्रीनाथ मंदिर कमेटी अभी तक इस कार्य को करती रही है, इस बीच १९६२ में बद्रीनाथ नोटीफाइड एरिया कमेटी का गठन हो गया। लेकिन उस कमेटी ने कोई कार्य इसलिये प्रारम्भ नहीं किया चूंकि उसके पास कोई आय के साधन नहीं थे। अब उसने बाई-लाज बनाकर कुछ आमदनी कर लिया है और ६७ हजार रुपये उसके पास मौजूद हैं। इसलिये जो अधिकार उस अधिनियम के द्वारा बद्रीनाथ समिति को दिये गये थे उसको इस विधेयक के द्वारा निरस्त करने की आवश्यकता हुई और निरस्त करके उसको नोटीफाइड एरिया कमेटी को वह अधिकार दिये जायं। यह प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और जो यह संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ उसके अधिकार को नोटीफाइड एरिया कमेटी को देने को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ५, १९४५ का निरसन तथा पारिणामिक उपबन्ध।

२—(१) संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, १९४५, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से—

(क) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, १९३९ के अधीन संघटित श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति (जिसे आगे उक्त समिति कहा गया

---

†२१ अप्रैल, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

R.A. 8012

है) की उक्त अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य नोटीफाइड एरिया कमेटी बद्रीनाथ पुरी (जिसे आगे नोटीफाइड एरिया कमेटी कहा गया है) में अन्तरित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, निर्वहन तथा पालन उसके द्वारा किया जायगा ;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा उसके अनुसरण में, उक्त समिति द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा दायित्व नोटीफाइड एरिया कमेटी को अन्तरित हो जायगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, १९४५ का निरसन करने तथा पारिणामिक उपबन्ध बनाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा । **संक्षिप्त नाम**

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५†

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय । मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पहले इसका नाम बहुत बड़ा था । इस नाम को हम छोटा कर रहे हैं ताकि लोगों की आसानी से समझ में आ जाये ।

---

†२० मार्च, १९७५ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
पहले इसका नाम क्या था ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—
पहले इसका नाम था "उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम"। इसको हम छोटा कर रहे हैं। पहले इसका काम केवल म्युनिसिपल कारपोरेशंस को वाटर कनेक्शंस देना था। लेकिन अब हम इसके साथ साथ सीवरेज और इसके यूटीलाइजेशन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिये इसके दो और फंक्शंस बढ़ गये। यह सब जनहित की बात है। केवल एक संस्था थी जो एक काम करती थी यानी पानी का वितरण। वर्ल्ड बैंक या दूसरी जगह से लोन लेकर इसके दो फंक्शंस और कर दिये। यह केवल पानी की ही व्यवस्था नहीं करेगी बल्कि सीवरेज का भी प्रबन्ध करेगी। इसलिये इस बिल को ले आने की आवश्यकता पड़ी। यह जनहित में है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी विवाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—
मान्यवर, यह बहुत लम्बा चौड़ा बिल है। इसको किसी ने पढ़ा नहीं। जो सरकारी अमेन्डमेन्ट्स हैं वह भी १५/१६ है। इसलिये मेरा कहना है कि इसको कल ले लें। जल्दी-जल्दी पास तो हो ही जायगा। सदस्यों को पढ़ने का मौका मिल जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—
फिर आज क्या करें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
आज हाउस एडजर्न कर दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—
यह बिल बहुत पहले अध्यादेश की शक्ल में आया और फिर बिल की शक्ल में सदन के सामने आ चुका है। इसको काफी देखने का मौका मिल चुका है।

श्री अध्यक्ष—
इसमें संशोधन बहुत हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिभाषाएं।

खंड २

२—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) "मलकूप" के अन्तर्गत कोई ऐसी तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गृहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो ;

(२) "संचारण पाइप" का तात्पर्य किसी पाइप या समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप से है जिसके द्वारा प्रनाड (मेन) से किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है;

(३) "संयोजक पाइप" का तात्पर्य जोड़ चूंड़ी (फेरूल) से रोक-टोटी तक, ऐसे जल के पाइप से है जो, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम के प्रनाड से सेवा पाइप को जोड़ता हो ;

(४) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम से किसी

प्रकार के जल संम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का फायदा मिलता हो ;

(५) "घरेलू सीवेज" का तात्पर्य निवास-स्थानों, बोर्डिंग तथा लाजिंग हाउसों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाल और वैयक्तिक तथा सामान्य मानव कार्य-कलापों से जैसे कि पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न उच्छिष्ट जल से है ;

(६) "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप, खाईं (डिच), मल नाली (गटर) या जल कुल्या (चैनल) अथवा जल कुन्ड (सिस्टर्न), फ्लश टंकी, मल टंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई अन्य युक्ति जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा, करकट, उच्छिष्ट जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिये हो, तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवातन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसी नाली से जुड़ी हो, और कोई निष्कासक (इजेक्टर), संदावित वायु प्रनाड, मुहरबन्द सीवेज प्रनाड और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है, जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिये हों ;

(७) "जोड़ चूड़ी" का तात्पर्य ऐसी जोड़ चूड़ी से है जो संयोजक पाइप को प्रनाड से जोड़ती हो ;

(८) "महा प्रबन्धक" का तात्पर्य धारा २० की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त जल-संस्थान के महा प्रबन्धक से है ;

(९) "जल संस्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से है जिसे एक या अधिक स्थानीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिये धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाय ;

(१०) "स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग" और "सामुदायिक विकास विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है ;

(११) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत हो ;

(१२) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महा-पालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति या गांव सभा से है ;

(१३) "प्रनाड" का तात्पर्य, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम द्वारा व्यष्टिक उपभोक्ताओं के लिये सम्भरण से भिन्न जल के सामान्य सम्भरण के लिए बिछाये गये पाइप से है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है ;

(१४) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है ;

(१५) "निगम" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था निगम से है ;

(१६) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में स्वामी को तत्समय किराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका देनदार हो ;

(ख) कोई स्वामी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो ;

(ग) ऐसे भू-गृहादि का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो ;

(घ) कोई लाइसेंसधारी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो; और

(ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि का प्रयोग और अध्यासन करने के सम्बन्ध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का देनदार हो;

(१७) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार हो यदि भू-गृहादि किराये पर दिया जाय और इसके अन्तगत निम्नलिखित भी है:—

(क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मद्धे ऐसा किराया लेता हो ;

(ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त भू-गृहादि का प्रभार लेने के लिये, या ऐसे भू-गृहादि के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त रिसीवर या प्रबन्धक; और

(घ) भोग-बन्धकी ;

(१८) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है ;

(१९) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है ;

(२०) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य विहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी से है ;

(२१) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "असार्वजिनक मार्ग", "सार्वजनिक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि में हों ;

(२२) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(२३) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(२४) "सेवा पाइप" का तात्पर्य रोक–टोंटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न किसी पाइप से है, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो ;

(२५) "सीवेज" का तात्पर्य विष्टा या नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, और हौदी, स्नानागार, अस्तबल, पशु शाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है ;

(२६) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल उच्छिष्ट जल अथवा अवभूमि जल बहा ले जाने के लिये बन्द वाहक नाला से है ;

(२७) "सीवर व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है ;

(२८) "रोक टोंटी" का तात्पर्य ऐसी रोक टोंटी से है, जो किसी भू-गृहादि के जल सम्भरण को बन्द अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड से दर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो ;

(२९) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" का तात्पर्य किसी ऐसे तरल पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले मिले हों या न हों, से है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा औद्यानिकी भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है ;

(३०) "जल संयोजन" के अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा (हाइड्रेन्ट), स्थायी नल, मीटर या टोटी भी है, जो किसी असार्वजनिक सम्पत्ति में स्थित हो और जल संस्थान के प्रनाड या अन्य पाइप से संयुक्त हो ; और

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जल कुन्ड, बम्बा, स्थायी नल, मीटर या टोंटी को ऐसे प्रनाड या पाइप से जोड़ता हो ;

(३१) "जल सम्भरण" का तात्पर्य किसी समुदाय को पीने की तथा अन्य घरेलू उपयोगों, उद्योग, आमोद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की अपेक्षा को पूरा करने वाली जल-व्यवस्था प्रणाली से है ;

(३२) "जल कल" के अन्तर्गत जल मार्ग (जिसमें कोई सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआं, पम्प, गैलरी, जलाशय, जल कुन्ड, टंकी सम्मिलित है), नलिका चाहे वह ढकी हो या खुली, शोधन यूनिट, जल कपाट, सम्भरण प्रनाड, पुलिया, इंजन, जल वाहन, बम्बा, स्थायी नल, वाहक नाला और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तु है जो जल सम्भरण के लिये हों, अथवा जल सम्भरण के लिये प्रयुक्त हो अथवा जल सम्भरण के स्रोतों का संरक्षण करने के लिये या जल शोधन के लिये हो ।

*श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर' (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड २(१५) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश जल निगम" रख दिये जायं। यह नाम बहुत बड़ा है इसलिये समझने और पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिये इसका नाम 'उत्तर प्रदेश जल निगम' रख दिया जाय।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड २(१५) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश जल निगम" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड ३

निगम की स्थापना

३--(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(२) उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(३) निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(४) निगम का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी उसके कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझे।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर'--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) तथा उपखंड (२) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश जल निगम" रख दिये जायं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) तथा उपखंड (२) में शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था निगम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश जल निगम" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ४ से १३

निगम का गठन

४—(१) निगम में, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(२) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) एक प्रबन्ध निदेशक (जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी), जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा;

(ख) एक वित्त निदेशक (जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा), जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, पदेन ;

(ङ) स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) राज्य में स्थानीय निकायों के तीन निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष की तथा पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(४) उपधारा (२) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट कोई सदस्य निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की दशा में, किसी ऐसे अधिकारी को जो उसके विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का न हो और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में, जो अपर निदेशक के पद से नीचे का न हो, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता

५—कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता समन्वित हो ;

(ख) अननुमुक्त दिवालिया हो ;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो ;

(घ) धारा ६ और ७ में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा नियम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित तहो ;

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है—

(१) किसी स्थावर संपत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनियम अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में,

(२) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में,

(३) किसी ऐसे समाचार—पत्र में, जिसमें निगम के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो,

(४) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा—कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्य-काल ।

६—(१) निगम का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(२) धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अधीन नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रधान के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(३) धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(४) अध्यक्ष या कोई अन्य उपर्युक्त सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग—पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध ।

७—(१) अध्यक्ष तथा धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्त सदस्यों को निगम की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय ।

(२) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्त्तव्यों के पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

कर्मचारियों की नियुक्ति

८—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त तथा उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(२) निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, निगम का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण।

९—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का निगम के अन्य समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण तथा निदेश होगा और इस बात के अधीन रहते हुए प्रबन्ध-निदेशक का उन पर नियंत्रण होगा।

निगम के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

१०—(१) निगम की सभी कार्यवाहियां निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें निगम के प्रबन्ध-निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

(२) निगम किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

शक्तियों का प्रतिनिधान।

११—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य या विशेष आदेश से या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो धारा ४६, ४९ और ५० के अधीन उसकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य न हो, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

हित होने के कारण निगम की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता।

१२—(१) निगम का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य—

(क) जिसकी किसी मामले के सम्बन्ध में धारा ५ के खंड (ङ) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो,

धारा ५ के प्रतिबन्धात्मक खंड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा भी है, न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(२) यदि निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो, भाग नहीं लेगा।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) की कोई बात निगम या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी ।

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे ।

१३—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

(क) निगम या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हों, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होंगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ तथा १३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

जल निगम के कृत्य

१४—निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(१) जल संभरण के लिये योजनायें तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना ;

(२) राज्य सरकार, और स्थानीय निकायों, को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में, सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(३) राज्य सरकार के निदेश पर जल संभरण, सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सरण के लिये राज्य योजनायें तैयार करना ;

(४) जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल संभरण के परिव्यय का पुनर्विलोकन करना और उन पर सलाह देना ;

(५) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

(६) जल संभरण तथा सीवर–व्यवस्था सेवाओं के लिये राज्य मानक स्थापित करना;

(७) ऐसी सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं है और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे ;

(८) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है जल संभरण तथा

सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना ;

(९) राज्य में प्रत्येक जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ;

(१०) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तो किसी जल-कल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और उनका अनुरक्षण करना ;

(११) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना ;

(१२) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिये व्यावहारिक गवेषणा करना ;

(१३) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना; और

(१४) ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायं ।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४(१) में शब्द "जल सम्भरण" के पश्चात् "के लिये तथा सीवर-व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण" बढ़ा दिये जायें ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४(१) में शब्द "जल सम्भरण' के पश्चात् "के लिये तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण" बढ़ा दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५ से १९

जल निगम की शक्ति

१५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(२) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(१) राज्य में समस्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना ;

(२) किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे ;

(३) अपने श्रमिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

(४) जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करना ;

(५) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी सभी सेवाओं के लिये फीस की अनुसूची निर्धारित करना ;

(६) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिये आवश्यक समझे ;

(७) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना ;

(८) जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिय टैरिफ का अनुमोदन करना ;

(९) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ;

(१०) स्थानीय निकायों को उनकी जल संभरण योजना तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिये ऋण वितरण करना ;

(११) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिये व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

रिपोर्ट तथा सूचना मांगने की शक्ति

१६–(१) निगम किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय से ऐसी रिपोर्ट तथा सूचना जिसे निगम आवश्यक समझे, मांग सकता है और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे आदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) (क) इस प्रकार जारी किये गये निदेशों का सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, अनुपालन किया जायगा ;

(ख) यदि ऐसा जल संस्थान या स्थानीय निकाय ऐसे निदेशों से असहमत हो अथवा उसका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय।

१७—निगम किसी ऐसी योजना या निर्माण कार्य के व्यय में, जिसके निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन का कार्य धारा १४ के खण्ड (१) के अधीन किया जाय, पर्यवेक्षण तथा प्रति सैकड़ा परिव्यय ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जिसे विहित किया जाय जिसे वह धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (५) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकता है।

जल-संस्थान की स्थापना

१८—(१) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में जल-संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो वह उस क्षेत्र के लिये जल संस्थान के नाम से एक निकाय गठित कर सकती है।

(२) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से, गठित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन कोई जल संस्थान इस प्रकार गठित किया जा सकता है कि एक या एकाधिक स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उसकी अधिकारिता हो।

(४) जल संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह जल संस्थान "(क्षेत्र का छोटा नाम जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो) जल संस्थान" के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(५) जल संस्थान को सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(६) जल संस्थान का मुख्य कार्यालय उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा।

(७) जल संस्थान का अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, उप-कार्यालय हो सकता है।

(८) राज्य सरकार, जहां वह लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से—

(क) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र अलग कर सकती है ;

(ख) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र को दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्र में पृथक-पृथक बांट सकती है ;

(ग) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्रों को एकल जल संस्थान के क्षेत्र में समामेलित कर सकती है, या

(घ) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र का कोई भाग ऐसा क्षेत्र न रह जाने की घोषणा कर सकती है।

महापालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डों पर जल संस्थान की शक्तियों का प्रदत्त किया जाना।

१९—(१) किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के तदर्थ आवेदन पर राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, उस नगर महापालिका या बोर्ड को, ऐसे दिनांक से जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायगा, जल संस्थान की शक्तियां प्रदत्त कर सकती हैं और जहां ऐसी अधिसूचना जारी की जाय वहां ऐसी नगरमहापालिका या बोर्ड अपने स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा २०, २१, २२, ३३ और ३८ ऐसी किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड पर लागू न होंगी।

(२) जल संस्थान के रूप में नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यकलापों के सम्बन्ध में यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधि-

नियम, १९५९ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ और इस अधिनियम के बीच कोई आपत्ति होने की दशा में इस अधिनियम के उपबन्ध अधिभावी होंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १५, १६, १७, १८ और १९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०

जल संस्थान का गठन

२०—(१) जल संस्थान में, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(२) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) उन जिलों के जिनमें जल संस्थान का क्षेत्र पड़ता हो, कलेक्टर पदेन ;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का वह ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो ;

(ग) एक महा प्रबन्धक (जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा) जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा ;

(घ) निगम का एक प्रतिनिधि, और

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित प्रधान अथवा सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २०(२) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"(क) उस जिले का कलेक्टर जिसमें जल संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो,"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २०(२) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जाय—

"(क) उस जिले का कलेक्टर जिसमें जल संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१ से ३०

अनर्हतायें

२१—निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हताओं से सम्बन्धित धारा ५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पदों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

कार्यकाल

२२—(१) जल संस्थान का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुर्नानियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(२) धारा २० के खण्ड (ङ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हों, पद धारण करेगा।

(३) धारा २० की उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(४) जल संस्थान का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

पारिश्रमिक

२३—(१) जल संस्थान के अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्यों को, जो जल संस्थान के लिये पूर्ण कालिक रूप से कार्य करें, जल संस्थान की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई, हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) यदि जल संस्थान का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्त्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

जल संस्थान के कृत्य

२४—जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(१) जल सम्भरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना ;

(२) जहां साध्य हों, सीवर-व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन ;

(३) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके, और जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके ;

(४) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो ;

(५) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे।

जल संस्थान की शक्तियां

२५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(२) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(१) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल-सम्भरण-सीवर-व्यवस्था और सीवेज सम्बन्धी निस्तारण से सम्बन्धित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना ;

(२) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर आधिपत्य रखना, उन्हें धारित करना और किसी राजमार्ग, सड़क, मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति-युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य करना;

(३) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना ;

(४) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संविदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे ;

(५) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना ;

(६) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिये ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किये जायें ;

(७) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ;

(८) निगम से ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना।

शक्तियों का प्रतिनिधान

२६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या महाप्रबंधक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो धारा ४४ और ५० के अधीन शक्तियां तथा कर्त्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

कर्मचारियों की नियुक्ति

२७—(१) जल संस्थान अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन तथा शर्तों का अवधारण, राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(२) अध्यक्ष के सामान्य नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुये, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा उन पर नियन्त्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा।

२८—(१) जल संस्थान की सभी कार्यवाहियां जल संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी, और जल संस्थान के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें जल संस्थान के महाप्रबन्धक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी ; जल संस्थान के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

(२) जल संस्थान किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमन्त्रित कर सकता है और इस प्रकार आमन्त्रित व्यक्ति जल संस्थान की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

२९—जल संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल — अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे।

(क) जल संस्थान या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में; जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण अविधिमान्य न होंगी।

३०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद निगम को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। उपभोक्ताओं से विवाद

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९ तथा ३० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३१

३१—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य सरकार की ऐसी समस्त सम्पत्तियां (जिनके अन्तर्गत जल-कल, भवन, प्रयोगशालायें, भंडार, गाड़ियां, फर्नीचर तथा अन्य साज सामान भी है) जिनका प्रयोग स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अपने प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो, निगम की स्थापना के दिनांक से, जिसे आगे इस अध्याय में "नियत दिनांक" कहा गया है, निगम में निहित और अन्तरित हो जायेंगी। निगम में सम्पत्ति का निहित होना तथा अन्तरण

(२) ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर'—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ३१ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :

"३१—(१) निगम की स्थापना के दिनांक, अर्थात् १८ जून, १९७५ से, जिसे इस अध्याय में आगे नियत दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है —

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जलकल, भवन, प्रयोगशाला, भन्डार, गाड़ी, फर्नीचर, और अन्य साज सामान

[श्री अब्दुलरहमान खां 'नश्तर']

सम्मिलित है) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार में नियत दिनांक के ठीक पूर्व निहित थी वह सब निगम में निहित और उसको अन्तरित हो जायेगी,

(ख) जो अधिकार, दायित्व, और आभार राज्य सरकार के उक्त विभाग से सम्बन्धित थे, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुये हों, वे सब निगम के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार निर्धारित करे।

(३) जो वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के द्वारा विरुद्ध, संस्थित या प्रतिवादित की गई हैं या उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होने पर की गई होतीं, वे निगम के द्वारा या विरुद्ध जारी, संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें अध्याय चार भी इसके साथ ही किया जाना चाहिये। खंड ३१ के पहले इसे रखा जाना चाहिये था। अध्याय पर वोट तो होता नहीं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

वर्तमान शीर्षक जो है उसे बदलने का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--

शब्द "अध्याय" और "शीर्षक" विधेयक का भाग नहीं होते। उसे खंड ३१ के पहले आना चाहिये था।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जैसा आप उचित समझें आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष--

इसे खंड ३१ के आनुषंगिक संशोधन के रूप में किया जा सकता है। अतएव खंड ३१ के बाद मैं कर दूंगा।

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ३१ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :--

"३१--(१) निगम की स्थापना के दिनांक, अर्थात् १८ जून, १९७५ से, जिसे इस अध्याय में आगे नियत दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है --

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जल कल, भवन, प्रयोगशाला, भंडार, गाड़ी, फरनीचर, और अन्य साज सामान सम्मिलित है) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार में नियत दिनांक के ठीक पूर्व निहित थी वह सब निगम में निहित और उसको अन्तरित हो जायगी,

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार राज्य सरकार के उक्त विभाग से सम्बन्धित थे, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुये हों, वे सब निगम के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार निर्धारित करे।

(३) जो वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के द्वारा विरुद्ध, संस्थित या प्रतिवादित की गई हैं या उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होने पर की गई होतीं, वे निगम के द्वारा या विरुद्ध जारी, संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

अब यह आनुषंगिक रूप में है। इसको मैं ठीक कर दूंगा। "सम्पत्तियों, आस्तियों, दायित्वों व आभार का निहित किया जाना और कर्मचारियों का अन्तरण" यह शीर्षक मैं शुद्ध कर दूंगा।

खंड ३२

सम्पत्ति के निहित होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

३२---जहां कोई ऐसा संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति निगम में धारा ३१ के अधीन निहित हो गयी है या नहीं, वहां राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ३२ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३२ रख दिया जाय ---

"३२---जहां कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा ३१ के अधीन निहित हुई है या कोई अधिकार, दायित्व या आभार उस धारा के अधीन निगम का अधिकार, दायित्व और आभार हो गयी है वहां ऐसे सन्देह या विवाद को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ३२ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३२ रख दिया जाय ---

"३२---जहां कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा ३१ के अधीन निहित हुई है या कोई अधिकार, दायित्व या आभार उस धारा के अधीन निगम का अधिकार, दायित्व और आभार हो गयी है वहां ऐसे सन्देह या विवाद को राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

वर्तमान जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का जल संस्थान में निहित होना

३३—(१) जहां कहीं भी धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई जल संस्थान गठित किया जाय वहां—

(क) समस्त वर्तमान जल संभरण सेवायें और जहां जल संस्थान धारा २४ के खन्ड (२) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को अपने हाथ में ले, वहां वर्तमान समस्त सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवायें, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल पम्पिंग स्टेशन, छानने की टंकियां, जल प्रनाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे, ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा ऐसे सभी भवन, भूमि और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार और उससे सम्बन्धित वस्तुयें जो जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय निकाय की हों, या उसमें निहित हों ;

(ख) उक्त जल प्रनाड तथा सीवरों से संलग्न उतनी अवभूमि जो किसी ऐसे जल प्रनाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों और फिटिंग्स, जो ऐसे जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं और कार्यों तथा सीवेज फार्मों से सम्बन्धित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तुओं से सम्बंधित ऐसे स्थानीय निकाय से समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यतायें जिनके अन्तर्गत जल-कर तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी करके, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, और जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया की वसूली का अधिकार भी है और इसके अन्तर्गत खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित अथवा उपयोजित ऋण से भिन्न उपर्युक्त किसी बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गये किसी ऋण से होने वाले दायित्व भी हैं ;

जल संस्थान के गठित होने के दिनांक से (जिसे आगे इस अध्याय में 'उक्त दिनांक' कहा गया है) उसमें निहित होंगे और उसे अन्तरित हो जायेंगे और उसके नियन्त्रणाधीन होंगे।

(२) ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जो सरकार अवधारित करे।

(३) जहां इस सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद उठे कि कोई सम्पत्ति हित या आस्तियां उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें इस धारा के अधीन जल संस्थान के अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और सम्बद्ध जल संस्थान तथा स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ३३ में —

(क) उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय —

"(२) ऐसी सम्पत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और आभार का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार अवधारित करे।"

(ख) उपखंड (३) में शब्द "हित" निकाल दिया जाय।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ३३ में —

(क) उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय —

"(२) ऐसी सम्पत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और आभार का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार अवधारित करे।"

(ख) उपखंड (३) में शब्द "हित" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

जल संस्थान उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर यह अधिनियम प्रयोज्य हो, स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यतायें ग्रहण करेगा

३४—धारा २४ में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण तथा बाध्यतायें, की गईं समस्त संविदायें और किये जाने के लिये बचनबद्ध समस्त विषय तथा बातें जल संस्थान द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत किये गये या किये जाने के लिये वचनबद्ध समझी जायेंगी, और ऐसे सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा ३३ की उपधारा (१) के अधीन निहित और अन्तरित न होतीं तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकतीं, जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं, अथवा संस्थित की जा सकती हैं।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ में शब्द "संस्थित" (आखिरी दो पंक्तियों में जहां-जहां प्रयुक्त हुआ हो) के पश्चात् "या प्रतिवादित" बढ़ा दिये जायं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३४ में शब्द "संस्थित" (आखिरी दो पंक्तियों में जहां-जहां प्रयुक्त हुआ हो) के पश्चात् "या प्रतिवादित" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५ व ३६

जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकायों के कार्य-कलापों का समन्वय

३५---यदि राज्य सरकार की राय हो कि यह लोक-हित में है कि किसी जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय को जिनकी ऐसी क्षेत्रों पर एक दूसरे से लगे हुये हुये हों, अधिकारिता हो, जल संभरण सेवाओं, या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों के सम्बन्ध में अपने कार्य-कलापों का समन्वय करना चाहिये तो वह ऐसे जल संस्थान और सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और उस जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का अनुपालन करे।

पुनः उधार देने की संक्रिया के संबंध में निगम की विशेष शक्तियां

३६---जहां धारा ४६ के अधीन किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय और निगम के बीच किसी करार में ऐसी व्यवस्था हो तो निगम को धारा ४९ के अधीन अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जल-कर के, सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर के और जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिव्यय या फीस के, बकाया के जो जल संस्थान या स्थानीय निकाय को देय हों, सीधे वसूल करने की भी शक्ति होगी जिससे कि निगम अपने देयों को वसूल सके।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३५ व ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३७

कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण

३७---(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में सेवायोजित हो, नियत दिनांक को तथा से निगम का कर्मचारी हो जायगा और उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एव शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन निगम से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियन्त्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा निगम का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह राज्य सरकार से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो ---

(१) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(२) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक के बराबर होगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि, राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और राज्य सरकार को छोड़ कर, निगम ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश धनराशियों का, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार समुपयुक्त समय पर उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(३) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (१) के अधीन निगम में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८; १९४७ ई०

(४) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार के स्वायत्त शासन में अभियन्त्रण विभाग का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनांक से निगम के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, निगम का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(५) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियत दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच राज्य सरकार की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु राज्य सरकार उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर की निगम से प्रतिपूर्ति की भी हकदार होगी।

(६) छटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, जैसे कि वे राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हैं, के पैरा ४२६ या पैरा ४३६ की कोई बात सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होंगे।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाय :

"(७)—पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी —

(क) किसी व्यक्ति की सेवायें, जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा-समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें।

(ख) राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की सेवायें उपधारा (१) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती ह तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे

[श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर']

कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को जिसे वह उचित समझे ऐसे कर्मचारी के जब वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सक्षम होगा।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३७ के उपखंड (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाय—

"(७) पूर्ववती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवायें, जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा-समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की सेवायें उपधारा (१) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कमचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को जिसे वह उचित समझे ऐसे कर्मचारी के जब वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुये, सक्षम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

कर्मचारियों का जल संस्थान को स्थानान्तरण

३८—(१) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, (जिसके अन्तर्गत यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क के अधीन सृजित सेवा का कोई सदस्य नहीं है) जो स्थानीय क्षेत्रों के जिसके लिये कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, किसी स्थानीय निकाय के अधीन अनन्य रूप से जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों अथवा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में सेवायोजित हो, उक्त दिनांक को तथा से जल संस्थान के का कर्मचारी हो जायगा और वह उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को उसे धारण करता, यदि उपर्युक्त जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी

सेवायें, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जल संस्थान को अन्तरित और उसमें निहित न किये गये होते, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन जल संस्थान से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियन्त्रित होती हों, जल संस्थान द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षत या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा जल संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दें :

अग्रेतरप्रतिबन्ध यह है कि स्थानीय निकाय के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और यह उक्त स्थानीय निकाय से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो —

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक, के बराबर होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुये, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में यथा परिभाषित किसी कर्मकार से भिन्न हो और जो जल संस्थान का कर्मचारी हो जाय, किसी ऐसे अधिष्ठान या उपक्रम से जिसमें यह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, जल संस्थान के किसी अन्य अधिष्ठान या उपक्रम में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियन्त्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(३) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उक्त दिनांक के पूर्व कोई व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय के अधीन उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि संबद्ध स्थानीय निकाय द्वारा उक्त दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित जल संस्थान को अन्तरित कर दी जायगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर, जल संस्थान ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हों, भुगतान करने के लिये उत्तर-दायी होगा।

(५) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झग ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से

कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(६) किसी स्थानीय निकाय का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान का कर्मचारी होने पर उक्त दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक से जल संस्थान के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, जल संस्थान का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(७) उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी उक्त दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच सम्बद्ध स्थानीय निकाय की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु स्थानीय निकाय उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर का जल संस्थान से प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा।

(८) सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, जैसा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियन्त्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा ४४३६ या पैरा ४६ अथवा पदों की छंटनी या उनको समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

(९) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ६९-बी, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ११२-क या उक्त धाराओं के अधीन बनाये गये नियमों में केन्द्रीयित सेवाओं के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीयित सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त धाराओं और नियमों में निर्दिष्ट हो, यथास्थिति, ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान की जायें, प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिये आबद्ध होगा, और ऐसा कोई कर्मचारी केवल ऐसी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ता पाने का हकदार न होगा तथा तदधीन रहते हुये वह उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर केन्द्रीयित सेवा का सदस्य बना रहेगा जिस पर कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के पहले था।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर'—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (९) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड जोड़ दिया जाय—

"(१०) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवायें, जो किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियत दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित थी, या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, जल संस्थान को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी की सेवायें उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान को अन्तरित हो जाती हैं तो जल संस्थान ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को, जिसे वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी को जब वह स्थानीय निकाय की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सक्षम होगा।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (९) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड जोड़ दिया जाय —

"(१०) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी —

(क) किसी व्यक्ति की सेवायें, जो किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियत दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित थीं, या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, जल संस्थान को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी की सेवायें उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान को अन्तरित हो जाती हैं तो जल संस्थान ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को, जिसे वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी को जब वह स्थानीय निकाय की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुये, सक्षम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३९ से ५४

सम्पत्ति, संविदा, वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

३९—निगम या जल संस्थान की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा संपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा।

निगम की निधि

४०—(१) निगम की अपनी निधि होगी जो निगम निधि कहलायेगी और स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त धनराशियों से भिन्न सभी प्राप्त धनराशियां जमा की जायेंगी।

(२) निगम की एक और निधि भी होगी जो ऋण निधि कहलायेगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य निधियां गठित कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष संपादन के लिये आवश्यक हों।

जल संस्थान की निधि

४१—प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें जल संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

जल निगम के वित्त के लिये सामान्य सिद्धान्त

४२—निगम, यथाव्यवहार्य और धारा ४३ के अधीन राज्य सरकार से किसी अनुदान या वित्तीय सहायता के लिये कोई उधार लेने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपना कार्य संचालन हानि पर नहीं करेगा।

निगम तथा जल संस्थान को अनुदान तथा वित्तीय सहायता

४३—(१) राज्य सरकार राज्य विधान मन्डल के यथोचित विधीय विनियोजन के पश्चात्, समय समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान तथा वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

(२) राज्य सरकार जल सम्भरण तथा सीवेज व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय निकाय या जल संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान निगम के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

जल संस्थान के वित्त के लिये सामान्य सिद्धान्त

४४—जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने काय संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके।

निगम को ऋण

४५—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और निगम सहमत हो, ऋण दे सकती है।

जल निगम की उधार लेने और पुन: उधार देने की शक्ति

४६—(१) निगम तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (५) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपनी स्थापना के दिनांक से एक मात्र ऐसा स्थानीय प्राधिकारी होगा जो जल-संस्भरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार लेने के लिये प्राधिकृत है:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थानीय निकाय जिसकी ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो जल संस्थान की अधिकारिता में सम्मिलित न हो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, जो ऐसा अनुमोदन देने के पूर्व निगम से परामर्श करेगी, ऐसी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार ले सकता है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य

प्रकार से अथवा ऐसे बैंकरों या अन्य निकायों या संस्थाओं से जो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, ठहराव करके उधार ले सकता है।

(३) निगम द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया जाने वाला ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी तथा उसे ऐसी रीति से मोचित किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(४) निगम ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित कृत्यों के संपादन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें निगम अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

(५) यदि निगम ने किसी जल संस्थान या किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिये ऋण देने के लिये कोई धनराशि उधार ली हो तो निगम ऐसा ऋण उक्त जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निबन्धनों तथा ब्याज की दरों पर, उतनी धनराशि में तथा प्रतिदान की ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये अन्तरित करेगा जिन पर निगम और जल संस्थान या स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की दक्ष प्रोन्नति, उनके निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण के लिये करार द्वारा व्यवस्था करे।

अवक्षयण संचिति

४७—निगम तथा प्रत्येक जल संस्थान एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, वार्षिक व्यवस्था करेगा।

प्रत्याभूतिदाता के रूप में सरकार

४८—राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निगम को दिये गये या अन्तरित किये गये किसी ऋण के प्रतिदान तथा सभी ऋणों पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति कर सकेगी।

निगम द्वारा सीधे प्रबन्ध

४९—(१) जहां कोई जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो किसी करार के अधीन निगम के प्रति दायी हो, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में व्यतिक्रम करे या अन्यथा निगम के साथ किये गये करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहे तो निगम राज्य राज्य सरकार से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिये अनुरोध कर सकता है।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निगम के अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि निगम, जल संस्थान या स्थानीय निकाय का, यथास्थिति, जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का प्रबन्ध ले लेगा, और उसके देयों को ऐसे प्रबन्ध-तन्त्र के माध्यम से वसूल करेगा, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश की कार्यान्वयन अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है जिससे कि इस प्रकार बढ़ायी गयी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

(३) यदि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा ग्रहण कर लिया गया

हो अथवा कोई देय धनराशियां उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा वसूल कर ली गई हों, तो इस प्रकार प्रबन्ध तथा वसूली के सम्बन्ध में उसके द्वारा उचित रूप से किये गये सभी खर्च, परिव्यय तथा व्यय जल संस्थान या स्थानीय निकाय से वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी धनराशि, जो उसने उक्त प्रबन्ध तथा वसूली से प्राप्त की हो, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसके द्वारा न्यास में रखी जायगी जिसका उपयोजन प्रथमत: उक्त खर्च परिव्यय तथा व्यय का भुगतान करने में और द्वितीयत: निगम को देय ऋण चुकाने में किया जायगा और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का अवशिष्ट ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को दिया जायगा जो उसे पाने का हकदार हो।

(४) जहां उप–धारा (२) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय और, यथास्थिति, जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों में लगे हुए उसके कर्मचारी ऐसे आदेश का तत्काल अनुपालन करेंगे, और निगम के अनुरोध पर जिले का कलेक्टर ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज निगम को दिलाने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्टत: ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

लेखे और लेखा परीक्षा

५०––(१) निगम और जल संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति एक विवरण–पत्र तथा/अथवा अनुपूरक विवरण पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेंगे तथा उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकते हैं और उन्हें निगम की दशा में राज्य सरकार को और जल संस्थान की दशा में निगम को ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे दिनांक तक जसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पूर्वानुमोदन के, ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में उक्त वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त न होने की दशा में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान सभी लेखों में उतनी धनराशि तक की जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित धनराशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान तथा वित्तीय सहायता में से व्यय की गई कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

(२) निगम तथा जल संस्थान ऐसी उचित लेखा-बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवायेंगे और पक्का चिठ्ठा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसा विनियमों द्वारा अपेक्षित हों, तैयार करायेंगे।

(३) निगम और जल संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेख्यों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

(४) निगम और जल संस्थान के वे लेखे जो लेखा–परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित हों और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष क्रमश: राज्य सरकार और निगम को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में, यथास्थिति,

निगम या जल संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और निगम या जल संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(५) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (४) के अधीन उसे प्राप्त निगम के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ; और

(ख) निगम के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जो वह उचित समझे ।

अधिभार

५१—(१) यथास्थिति, निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी निगम या जल संस्थान की किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(२) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय ।

(३) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(४) निगम या जल संस्थान को, उपधारा (३) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक के मद्धे या अन्य प्रकार से निगम या जल संस्थान द्वारा देय किसी धनराशि में से, कटौती करने से निषिद्ध न करेगी ।

उद्ग्रहणीय कर

५२—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित भू गृहादि पर—

(क) जहां क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहां क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर,

उद्गृहीत करेगा ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित कर ऐसी दर पर उद्गृहीत किये जायेंगे, जो भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे ।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण

५३—(१) धारा ५२ के प्रयोजनार्थ, "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य—

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्था (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम १९४८ में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषित है) की दशा में, भू-गृहादि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत,

(ख) किसी अन्य भू गृहादि की दशा में, ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू–गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू–गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर भू–गृहादि को युक्ति-युक्तः किराये पर दिये जाने की आशा हो,

से है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू-गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जायेगा ।

(२) धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(३) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(४) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य, जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा ।

(५) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में भू गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा ५४ के अधीन की गई अपील पर उसमें किये गये किसी फेरफार के अधीन रहते हुये, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्गृहीत गृह-कर के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायगा ।

कर निर्धारण के विरुद्ध अपील ।

५४—(१) कोई व्यक्ति जो धारा ५३ की उपधारा (२) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा दिये गये कर-निर्धारण के आदेश से क्षुब्ध हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो विहित प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो, वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

(३) विहित प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपीलाधीन आदेश की या तो पुष्टि कर सकता है, या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है ।

(४) उपधारा (३) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ व ५४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५५

५५--धारा ५२ में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :--

करों के उद्ग्रहण पर निर्बन्धन

(क) वे किसी ऐसी भूमि पर, जो केवल कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती हों, उदगृहीत नहीं किये जायेंगे जब तक कि जल संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिये जल संभरित न किया जाय ;

(ख) जल कर किसी ऐसे भू गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा--

(१) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हों, दो सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो ;

(ग) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा--

(१) जिसका कोई भाग जल संस्थान के निकटतम सीवर के एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो ; या

(२) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

श्री बालकृष्ण सनवाल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हुं कि खंड ५५ के उपखंड (ख) (१) में शब्द "दो सौ मीटर" के स्थान पर शब्द "एक सौ मीटर" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५५ के उपखंड (ख) (१) में शब्द "दो सौ मीटर" के स्थान पर शब्द "एक सौ मीटर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५५ इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६--९८

५६--धारा ५२ में उल्लिखित कर--

कर का भुगतान करने का दायित्व

(क) यथा स्थिति, जल संस्थान के जल संभरण या सीवर से सम्बद्ध भू गृहादि की दशा में, भू गृहादि के अध्यासी से,

(ख) ऐसे भू गृहादि की दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू गृहादि के स्वामी से ;

वसूल किया जा सकगा।

करों का समेकन

५७—धारा ५२ में उल्लिखित दोनों करों के उद्ग्रहण, निर्धारण या संग्रहण के प्रयोजनार्थ, जल संस्थान दोनों करों को समेकित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

५८—धारा ५२ में उल्लिखित करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७८, २१४, २१५, २२२, २२३ और २२६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम की धारा १७३ में वर्णित संपत्ति कर के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त उपबन्धों में महापालिका और मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो वे क्रमशः जल संस्थान और उसके ऐसे अधिकारी के जिसे तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रति निर्देश हों।

जल-परिव्यय

५९—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा सम्भरित जल का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार, और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी, निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, परिमाण के अनुसार जल-परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर, एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय

६०—(१) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को सम्भरित कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा जो विहित किया जाय), और ऐसे निस्तारण के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(२) जल संस्थान, उपधारा (१) में वर्णित आधार के अनुसार उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उक्त अवधि में उच्छिष्ट जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

मीटर का किराया

६१—जल संस्थान मीटर के लिये ऐसा किराया, जैसी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जाय, ले सकता है।

प्रतिभूति

६२—जल संस्थान उपभोक्ता से मीटर का संभरण किये जाने के सम्बन्ध में अथवा सीवर से संयोजित करने के लिये प्रतिभूति स्वरूप ऐसी धनराशि जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, की मांग कर सकता है, परन्तु जल संस्थान इस प्रकार जमा की गई किसी धनराशि पर उतनी दर से जिसे निगम समय समय पर अवधारित करे, ब्याज देगा।

फीस

६३—जल संस्थान किसी जल संभरण या सीवर के संयोजन, संयोजन को काटने, उसे पुनः संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित अथवा पर्यवेक्षित कार्य के लिये ऐसी फीस जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, ले सकता है।

देय करों तथा अन्य धनराशि की वसूली

६४—(१) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल परिव्यय, उच्छिष्ट जल निस्तारण परिव्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मद्धे देय कोई धनराशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(२) उपधारा (१) की कोई बात, उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में, जल संस्थान की उपविधियों के अनुसार जल संभरण संयोजन काटने की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी।

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण की परिभाषा

६५—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिये संभरण से है, अर्थात् :—

(क) व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिये ;

(ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ ;

(ग) भवन निर्माण के लिये, जिसके अन्तर्गत मार्गों का निर्माण भी है ;

(घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा हौज, सार्वजनिक स्नान गृह या टंकियों के लिये या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये ;

(ङ) ऐसे पशुओं के लिये, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये अथवा उनके उत्पाद की बिक्री के लिये रखे जाते हों ;

(च) किसी जलपान–गृह में या किसी होटल, बोर्डिंग हाउस या नैवासिक क्लब के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये ;

(छ) नाट्यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिये ;

(ज) मार्गों पर छिड़काव के लिये ; या

(झ) गाड़ियों को, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये रखी जाती हों, धोने के लिये ।

जल संस्थान द्वारा जल संभरण

६६—(१) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित दशा में घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण करने की स्वीकृति देगा—

(क) यदि ऐसा भू-गृहादि वर्तमान प्रनाड से तीस मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो ; या

(ख) यदि प्रार्थी ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, भू-गृहादि को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये तीस मीटर की दूरी से आगे किसी विस्तार के आवश्यक व्यय को वहन करने के लिये तैयार हो ।

स्पष्टीकरण—(१)जल संस्थान तीस मीटर से अनधिक, केवल ऐसी दूरी तक के विस्तार का व्यय वहन करेगा जो भू-गृहादि की वाह्य सीमा को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये पर्याप्त हो ।

(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जल संभरित किया जाय उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन किसी विस्तार का व्यय वहन करने पर भी, विस्तार में स्वत्व जल संस्थान में निहित होगा ।

(३) जल संस्थान तदर्थ आवेदन पत्र दिये जाने पर घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये जल संभरण की स्वीकृति दे सकता है ।

(४) घरेलू या अन्य प्रयोजनों के लिये जल संभरण ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन होगा जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय ।

(५) उपधारा (४) में निर्दिष्ट उप विधियों में किसी बात के होते हुये भी, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य परिनियत निगम अथवा

किसी शिक्षा संस्था को जल संस्थान भुगतान और अवधि के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर तथा संभरण सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर जल संभरण कर सकता है जिन पर परस्पर सहमति हो ।

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का प्रयोग गैर घरेलू प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायेगा

६७--कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था उप विधियों द्वारा की जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिये सम्भरित जल का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो करेगा और न करने देगा ।

दमकल नल की व्यवस्था

६८--(१) जल संस्थान किसी कारखाने (जैसा कि वह कारखाना अधिनियम, १९४८ में परिभाषित है) अथवा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में परिभाषित है) के स्वामी या अध्यासी के अनुरोध और उसके व्यय पर सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण ऐसे कारखाने, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आग लगने की दशा में जल संभरण के लिये करेगा और किसी ऐसी दशा में ऐसे स्वामी या अध्यासी से उपर्युक्त के सम्बन्ध में संभरित जल का परिव्यय वसूल करेगा ।

(२) जल संस्थान सभी ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जहां वह आवश्यक समझे, आग लगने की दशा में जल संभरण के लिये सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करेगा और उपर्युक्त के सम्बन्ध में जल संभरित करेगा ।

जल मीटर की व्यवस्था करने की शक्ति

६९--(१) जल संस्थान जल मीटर की व्यवस्था कर सकता है और उसे भू-गृहादि में जल संस्थान के जल कल से संयोजित सेवा पाइप में लगा सकता है ।

(२) मीटर लगाने का व्यय और उसके प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा ।

(३) मीटरों की व्यवस्था अथवा उनके संयोजनों का अन्तरण और उनका प्रयोग, अनुरक्षण तथा परीक्षण और उसे लगाने का व्यय तथा उनका किराया और तत्सम्बन्धी किसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, का दिया जाना, तदर्थ बनाई गई उपविधियों द्वारा विनियमित होगा ।

लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री

७०--(१) जल संस्थान द्वारा लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री कहा गया है) से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्माण कार्य जो मामूली कार्य न हो, नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निर्माण-कार्य करने की अनुज्ञा न देगा ।

(२) जब उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई निर्माण कार्य किया जाय तो ऐसा निर्माण-कार्य जल संस्थान की स्वेच्छा से विघटित कर दिया जा सकेगा ।

जल के अपव्यय पर प्रतिषेध

७१--(१) ऐसे भू-गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वारा जल सम्भरित किया जाय, स्वामी या अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा, और न ही उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो ।

(२) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाइप या टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(३) यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायगा।

जल संभरण काट देने की शक्ति

७२—(१) जल संस्थान किसी भू गृहादि के जल संभरण को काट सकता है—

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न किया जाय ; अथवा

(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दिये रहता है ; अथवा

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुंचाता है या ऐसी क्षति पहुंचने देता है ; अथवा

(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को एसे भू-गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता है जहां जल संभरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो, अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है ; अथवा

(ङ) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या कोई टोंटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है जिससे जल का अपव्यय या उसका अपदूषण होता है और उसकी तत्काल रोक-थाम करना आवश्यक है ; अथवा

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टोंटी या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे ; अथवा

(छ) यदि सेवा पाइप या टोंटी अथा अन्य फिटिंग या निर्माण-कार्य में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुंचती है और उसकी तत्काल रोक-थाम करना आवश्यक हो।

(२) इस धारा के अधीन या इसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो ।

(३) जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन काटे गये जल संभरण को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है ।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

७३—(१) कोई व्यक्ति—

(क) निगम या किसी जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा ; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक निगम या किसी जल संस्थान के किसी ताले, टोंटी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(ग) निगम या किसी जल संस्थान के किसी जल कल से प्रवाहित जल या ऐसा जल संभरित करने वाले जल मार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा ; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या किसी जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी जल कल के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इन्कार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा ; अथवा

(ङ) किसी जल कल के भीतर, उस पर, या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न धुलाई करेगा, न उसमें किसी पशु को फेंकेगा और न उसमे किसी पशु को प्रवेश करायेगा अथवा किसी जल कल में न तो कोई कचरा, धूल या गलीज फेंकेगा, और न उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की धुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी हौदी या नाली या किसी वाष्प इंजन या ब्वायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जलकल की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमें मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे किसी भी जल कल का पानी दूषित हो जाय अथवा उसके दूषित होने की संभावना हो ।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता के सम्बन्ध में जो अपने भू-गृहादि को जल सम्भरित करने वाले सेवा पाइप पर लगाई गई रोक टोंटी को बन्द करता हो, तब लागू न होगी यदि उसने किसी

ऐसे उपभोक्ता की, जिसके जल संभरण पर टोंटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त पर ली हो ।

सीवर से संयोजित करने का स्वामी या अध्यासी का अधिकार

७४––किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी, भू-गृहादि के सीवेज को जल संस्थान के सीवर में गिराने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा करने के पूर्व, वह––

(क) जल संस्थान के लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने और उप विधियों के अनुसार संयोजन फीस का भुगतान कर दे ; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, अनुपालन करे ।

स्वामी से सीवर संयोजन लेने की अपेक्षा करने की शक्ति

७५––यदि जल संस्थान की राय में किसी भू गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं है और जल संस्थान का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा लें।

सीवर से संयोजित करने का प्रतिषेध

७६––कोई व्यक्ति, जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना, जल संस्थान के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

सीवर के ऊपर भवन निर्माण करने का प्रतिषेध

७७––(१) कोई व्यक्ति जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना जल संस्थान के किसी सीवर के ऊपर कोई असार्वजनिक मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा ।

(२) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३२७ और ३३३ के उपबन्ध, उपधारा (१) के उल्लंघन में किसी निर्माण के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देश के लिये जल संस्थान के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करें, प्रति निर्देश प्रति स्थापित हों।

सीवर या मल कूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति

७८––जलसंस्थान किसी सीवर या मल कूप के लिये, चाहे वह जल संस्थान में निहित हो या नहीं, संवातन के प्रयोजनार्थ, कोई नाल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी भू-गृहादि पर खड़ा कर सकता है अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है ।

दोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति

७९––(१) यदि जल संस्थान को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि कोई असार्वजनिक सीवर या मल कूप ऐसी दशा में है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या जो अपदूषण है अथवा जल संस्थान के सीवर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करने वाला कोई असार्वजिनक सीवर इतना दोषपूर्ण है जिससे कि उसमें अवभूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो वह उसकी दशा के बारे में परीक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी जांच कर सकता है, जो दबावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो, और वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि को खोद सकता है ।

(२) (क) यदि परीक्षा करने पर सीवर या मल कूप उचित स्थिति में पाया जाय तो जल संस्थान, यथाशक्य शीघ्र, भूमि को, जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में लायेगा और अपने द्वारा हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका भुगतान करेगा।

(ख) यदि इसके विपरीत, इस प्रकार परीक्षित सीवर या मलकूप दोषपूर्ण पाया जाय तो, जल संस्थान शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे जल संस्थान के सीवर से विसंयोजित कर सकता है या स्वामी अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही, जैसी कि जल संस्थान द्वारा निदेशित की जाय ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में जल संस्थान अपने द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

(३) यदि इस प्रकार अवधारित धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जल संस्थान विवाद को निगम को निर्दिष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

८०—कोई व्यक्ति—

(क) इस अध्याय के अधीन जल निगम या जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबंदी करने से रोकेगा और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा ; अथवा

(ख) जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, बाल्व, पाइप या अन्य कार्य या साधित्र को, जो निगम या जल संस्थान के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(ग) निगम या जल संस्थान के किसी ऐसे सीवेज सम्बन्धी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गन्दगी निकालेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी सीवेज सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जान-बूझ कर उपेक्षा करेगा।

प्रवेश, सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति।

८१—(१) निगम या जल संस्थान का उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है :—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने ;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने ;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने ;

(ङ) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने ; अथवा

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम या उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि--

(१) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(२) किसी निवास गृह या स्थान में उसके अध्यासी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा;

(३) निवास गृह के किसी भी भाग में रहने वाली महिलाओं को वहां से हटने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी; और

(४) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाय, उसके अध्यासी व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा।

(२) जब कभी निगम या जल संस्थान का उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिए, यदि कोई हो, भुगतान करेगा या भुगतान निविदित करेगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो ऐसा विवाद निगम की दशा में, निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भू-गृहादि में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न भू-गृहादि में या उस पर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये या वहां कोई मिट्टी, प्रस्तर विशेष या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य पर पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो, प्रवेश कर सकता है।

(४) किसी अधिकारी के लिये जो किसी स्थान में प्रवेश करने के सम्बन्ध में निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना वैध होगा, यदि--

(क) वह समझता हो कि इस प्रकार प्रवेश करने के लिये उसका खोला जाना आवश्यक है ; तथा

(ख) स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या ऐसा अवरोध हटाने से इन्कार करता हो।

(५) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुये, यथासंभव, न्यूनतम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी क्षति के लिये प्रतिकर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को या दोनों को देय होगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त विवाद निगम की दशा में निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा।

टंकी, पोखरों तथा कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति

८२—(१) निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी टंकी, पोखरे या कुयें की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अध्यासी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् उस समय करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलाने से बचायेगा या रोकेगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट सफाई या विसंक्रमण कराने का व्यय उक्त टंकी, पोखरे या कुयें के स्वामी या अध्यासी से वसूल किया जा सकेगा।

अपराधों का संज्ञान

८३—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले ६ महीने के भीतर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

सामान्य शास्ति

८४—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अधियाचना का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये प्रथम जब दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

८५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किए।

(२) उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा पर आरोप्य है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, " डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।

८६—(१) यदि कोई व्यक्ति जिसने निगम या जल संस्थान के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो अथवा जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्ति-युक्त सन्देह हो ऐसे अधिकारी

द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये अथवा ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता अथवा दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ४२ की उपधारा (२) और (३) और धारा ४३, ४८, ५६, ५७, ५८ और ५९ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा ४२ की उपधारा (१) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

अपराधों का शमन

८७—(१) यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, या महाप्रबन्धक अथवा निगम या किसी जल संस्थान द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है ।

(२) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और इस प्रकार शमनित अपराधी के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कर्त्तव्य

८८—ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जिनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया जाय या करने का प्रयास किया जाये, यह कर्त्तव्य होगा कि वे जल संस्थान को या जल संस्थान के तदर्थ प्राधिकृत अधिकारियों को, यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने की या ऐसा अपराध करने का प्रयास किये जाने की तुरन्त सूचना दें और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता दें ।

नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निदेश

८९—(१) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

निगम द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना ।

९०—(१) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के वर्ष और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य—कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य—कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो, और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी ।

(२) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य—कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिसकी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

नीति विषयक प्रश्नों पर जल संस्थान को निदेश

९१—(१) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जल संस्थान नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे निगम द्वारा दिये जायें।

(२) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में निगम उपधारा (१) के अधीन निदेश दे सकता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

जल संस्थान की रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य सूचना

९२—(१) जल संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा निगम निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे निगम को प्रस्तुत करेगा, और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हों, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में जल संस्थान द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो।

(२) जल संस्थान, निगम को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा निगम निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और जल संस्थान के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा जल संस्थान के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्योरे, जिसकी निगम समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

सहायता देने का स्थानीय निकायों का कर्त्तव्य

९३—(१) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान को ऐसी मदद और ऐसी सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिये) ऐसे अभिलेख, मानचित्र, नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अपेक्षित हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय मांग किये जाने पर भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर फीस तथा परिव्यय उद्गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम या किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य शक्ति

९४—किसी ऐसे मामले में जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, निगम या जल संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकता है, जिसे निगम या जल संस्थान में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

९५—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, निगम या जल संस्थान अथवा निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार या निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित अथवा आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

९६--(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) धारा ५० की उपधारा (३) के अधीन लेखा परीक्षक की शक्तियां ;

(ख) धारा ५१ के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हों, भी है ;

(ग) प्रक्रिया जिसका धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिये जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुसरण किया जायगा, जिसके अन्तगत कर निर्धारण सूचियों का अधिप्रमाणीकरण तथा उनकी अभिरक्षा ऐसी सूचियों का पुनरीक्षण और कालावधि, ऐसी सूचियों का संशोधन और परिवर्तन, और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की दशा में अपील भी है ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम

९७--(१) निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम या जल संस्थान के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गये नियमों से असंगत न हों।

(२) विशेषत:, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) निगम या जल संस्थान की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जायं, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) निगम या जल संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध ;

(ङ) निगम या जल संस्थान की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन ;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक या महा प्रबन्धक किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक या अनावर्तक व्यय, धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विवरण–पत्र में, सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे ;

(छ) निगम या जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम या जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्रक्रिया ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ।

(३) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन निगम या जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जायं, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम या जल संस्थान उपधारा (१) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखंडित कर सकता है ।

उपविधियां

९८––निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) घरेलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के निबन्धन एवं शर्तें ;

(ख) मीटरों का लगाया जाना और उनके संयोजन को अन्तरित करना, और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुन: संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य परिव्यय जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति देना भी है और उससे सम्बद्ध विषय ;

(ग) निगम या जल संस्थान के सीवर से संयोजन के लिये दी जाने वाली फीस और ऐसे संयोजन के लिये अन्य निबन्धन एवं शर्तें ;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उपविधियों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७ व ९८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९९

संक्रमण कालीन उपबन्ध

९९—सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए धारा १८ के अधीन कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, ऐसे गठन के दिनांक के पूर्व जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, आरोपित जल कर अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, तथा उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे कर अथवा जल सम्भरण अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, निदेश, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत कोई कर-निर्धारण अथवा छूट या संयोजन, संयोजन काटने या पुन: संयोजन का आदेश जो किया गया हो या स्वीकृत हो अथवा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी पर आरोपित शास्ति अथवा किसी नल मिस्त्री को जारी किया गया कोई लाइसेन्स, अथवा तत्सम्बन्धी कोई आदेश भी है, जो स्थानीय क्षेत्र की अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय पर प्रयोज्य विधि के उपबन्धों के अधीन हो तथा उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध जल संस्थान ऐसे करके आरोपण अथवा निर्धारण के निमित्त अथवा ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत करने अथवा संयोजन दिये जाने के निमित्त अथवा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के निमित्त कोई अन्य व्यवस्था न करें अथवा आदेश न दें अथवा अन्य कार्यवाही या कार्य न करें, तथा ऐसी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, उपविधि अथवा लाइसेन्स के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों वह सम्बद्ध जल संस्थान के प्रति निर्देश है, तथा विशेषत: ऐसे कर एवं फीस की आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की निधि में जाने के बजाय सम्बद्ध जल संस्थान की निधि में जायेगी।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर'—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ९९ को पुन: संख्यांकित करके उसका उपखंड (१) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) तथा उपखंड (३) बढ़ा दिये जायं—

"(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ और १५ अगस्त, १९७६ के बीच की अवधि में कोई नियम, विनियम या उपविधि धारा ९६, धारा ९७ या धारा ९८ के अधीन, यथास्थिति २० मई, १९७५ से पूर्व नहीं पड़ने वाले किसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव से बनाए जा सकते हैं।

(३) यह २० मई, १९७५ से प्रवृत्त समझा जायेगा।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ९९ को पुन: संख्यांकित करके उसका उपखंड (१) कर दिया जाय तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) तथा उपखंड (३) बढ़ा दिये जायं—

"(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ और १५ अगस्त, १९७६ के बीच की अवधि में कोई नियम, विनियम या उपविधि धारा ९६, धारा ९७ या धारा ९८ के अधीन, यथास्थिति २० मई, १९७५ से पूर्व नहीं पड़ने वाले किसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव से बनाये जा सकते हैं।

(३) यह २० मई, १९७५ से प्रवृत्त समझा जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ९९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०० से १०२

निरसन तथा संशोधन

१००--धारा ९९ में की गई व्यवस्था के सिवाय, उस दिनांक को और से जब कोई जल संस्थान गठित किया जाय, जिसमें--

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथा-परिभाषित नगर हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम की धारायें ११४ और ११५ और अध्याय १०, ११, १९, २३ और २५ ; — उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(ख) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित कोई म्युनिसिपैलिटी हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त ऐक्ट की धारायें ७ और ८ और अध्याय ५, ७ और ९ ; — यू०पी० ऐक्ट, सं० २, १९१६

(ग) संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, १९१४ में यथापरिभाषित कोई टाउन एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम की धारायें ३, १४ और २५ और अध्याय ५ और ६ ; — संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं०२, १९१४

(घ) यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथा-परिभाषित कोई नोटीफाइड एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में यथापरिष्कृत तथा प्रसारित खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उक्त ऐक्ट के उपबन्ध; — यू० पी० ऐक्ट सं०२, १९१६

(ङ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में यथापरिभाषित, यथास्थिति, कोई खण्ड या किसी जिले का ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम के अध्याय ३, ७, ९ और १४; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१

(च) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में यथापरिभाषित गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत कोई क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ और ५ के उपबन्ध ;

उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा जल संस्थान को अभ्यर्पित शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य जिसके अन्तर्गत उक्त कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखने की शक्ति भी है, यथास्थिति, महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् या गांव सभा की शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के बाहर थे।

जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निधि

१०१--(१) धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय की जहां जल--सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवायें या दोनों ही हों, एक पृथक निधि होंगी जिसे "जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि" कहा जायगा, जो स्थानीय निधि समझी जायगी तथा जिसमें ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण तथा उनके प्रबन्ध के लिये प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हों, जमा किया जायगा।

(२) उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जल-सम्भरण अथवा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनों के लिये अथवा दोनों के लिये ही किया जायगा।

कठिनाइयों को दूर करना

१०२––(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषत: धारा १०० में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम अथवा उक्त अधिनियमितियां उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं, तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह आवश्यक या समीचन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त न दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड १००, १०१ और १०२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड १०३

श्री बालकृष्ण सनवाल––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १०२ के पश्चात् निम्नलिखित को नये खंड १०३ के रूप में बढ़ा दिया जाय :––

"१०३––(१) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ;

निरसन तथा अपवाद अध्यादेश सं० १०, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम २० मई, १९७५ से प्रवृत्त हो गया था।"

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड १०२ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड १०३ के रूप में बढ़ा दिया जाय :––

"१०३––(१) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ;

निरसन तथा अपवाद अध्यादेश, सं० १०, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम २० मई, १९७५ से प्रवृत्त हो गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल–सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था विधेयक, १९७५

जल–सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिये एक निगम, प्राधिकारियों तथा संगठनों की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने क लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

१––(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, कैन्टूनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़ कर, होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे और भिन्न–भिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर'––

विधेयक में जहां-जहां शब्द "बाध्यता" का प्रयोग किया गया हो वहां वहां शब्द "आभार" और जहां जहां "स्थानान्तरण" आया हो, वहां वहां शब्द "अन्तरण" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

इसको मैं रूल आउट करता हूं । यह अनियमित है । यह देखा जायगा, इसको शुद्ध करने का जहां तक अधिकार है वहां तक करूंगा । लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५ जसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदश जल–सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था विधेयक ...

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं मान्यवर, इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आप मुझे क्षमा करेंगे । जब यह बिल प्रस्तुत हुआ था तो मैं दूसरे सदन में कार्यरत था और इस कारण मैं यहां पर उपस्थित न रह सका । यह मेरी विवशता थी । मान्यवर, मुझे खेद है कि जब यह विधेयक जो इतना महत्वपूर्ण है, इस सदन के समक्ष आया तो मेरे उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं ।

यह विधेयक जनता की सेवा करने की प्रेरणा से लाया गया है। इस विधेयक में कूट-कूट कर जनता की सेवा की भावना भरी पड़ी है। इस के द्वारा संकल्प किया गया है कि वाटर वर्क्स की व्यवस्था अच्छी किस तरह से हो जिससे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचे। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर हम यह विधेयक लाये हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि अगर मेरे मित्रों को सदन में अपना रोष प्रकट करना था तो प्रकट करते लेकिन इस विधेयक के समय उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था, जो जनता की भलाई के लिये लाया गया है। इसमें जनता को राहत देने की बात है। अगर वे लोग इस विधेयक के बारे में अपने विचार देते तो अच्छा रहता। मैं यह मानने को तैयार हूं कि यह विधेयक निर्विवाद था। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों का समथन प्राप्त और सबके समथन करने योग्य यह विधेयक ह। इस विधेयक में कहीं पर भी राजनीति का प्रश्न नहीं उठता है बल्कि जनता की सेवा करने की भावना है। मान्यवर, हमने अभी तक, हमारा जो स्वायत्त शासन विभाग है, निगम बनाये हैं, जिससे उसकी इफीसिएन्सी बढ़े। उसमें कुछ सुधार होना चाहिये और उसको पूरा करने के लिए हमने कारपोरेशन बनाने का संकल्प किया है। हमने दूसरे जल संस्थान अपने प्रदेश में बनाने का निश्चय किया है। पहाड़ी क्षेत्र में एक जल संस्थान, बुन्देलखंड में एक जल संस्थान और तीसरा और शेष क्षेत्रों में बनाने का निर्णय किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक से काफी दिनों पहले से निगोशिएशन्स चल रहे थे लाने के लिये। हमें ३२ करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हुआ है, उसके लिये हमारी टीम अभी इसी महीने में अमेरीका गयी, वाशिंगटन गयी और हमारे निगोशिएन्स पूरे हुए और वह स्वीकार हो गया। ३२ करोड़ रूपया वर्ल्ड बैंक से प्राप्त होगा, इसके लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ धन एल० आई० सी० से भी मिलेगा। १५ करोड़ इसमें हमें धन मिलेगा और शेष जो धन है वह राज्य सरकार वहन करेगी। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और इसमें जनता की सेवा की भावना है और सभी का समर्थन प्राप्त है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन इसको पारित करे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने अभी इस बात पर दुख प्रकट किया कि विरोधी दल के माननीय सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सदन के अन्दर सदस्य मौजूद हैं उनको भी अभी तक इस बिल की प्रतियां नहीं मिली हैं और न उनको पढ़ने का अवसर ही मिला। मैं एक बात बुनियादी तौर से उठाना चाहता हूं कि आप निगम पर निगम बनाते जा रहे हैं आपने उनके हाथ से जन स्वास्थ्य के काम निकाल लिए, जो छोटी-मोटी सड़कों का काम निकाल लिया, ग्रामीण अभियंत्रण बन गया। पीने के पानी की जो योजना उनके हाथ में थीं, वे निकाल लीं। माननीय आर्य जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जो ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटीज हैं, जिला परिषदें हैं, उनक क्या कार्य हैं, आपकी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके क्या कार्य हैं। आपने, जो हमारी स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, उनके यहां से एक एक करके सारे काम निकाल रहे हैं। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक से जो वे ऋण लेंगे ताकि वे निगम बना सकें, किन किन शर्तों पर उन्हें ऋण मिलने जा रहा है? ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की नीति ऐसी बनने जा रही है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं को खत्म कर दें?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, सी० पी० आई० के हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही प्रश्न उठाया है कि इस बिल के पास हो जाने पर स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे जिला परिषदें हैं, या उनके अधीनस्थ ब्लाक कमेटीज हैं, या म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, उनके हाथ में क्या काम रहेगा। जल सम्भरण तथा सीवर का काम और उसको इस्तेमाल करने का काम इस विधेयक द्वारा इन निगमों या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

बौडीज को दिया जा रहा है जिसमें इसकी चर्चा है। माननीय सदस्य टिहरी गढ़वाल से आते हैं, और उन्होंने स्वयं देखा है कि जो देव प्रयाग और चम्बा ब्लाक हैं, जहां-जहां पीने के पानी की योजना पहाड़ों पर है, उनके रख-रखाव और उनके रखने की क्षमता उस क्षेत्र के लोगों में या उन संस्थाओं में नहीं है जिनके द्वारा उनका रख-रखाव होना चाहिये। बहुत विचार विमर्श के बाद यह सोचा गया कि कोई संस्था हो जो वायबिल हो। एल० एस० जी० ई० डी० का एक इन्जीनियर जिला परिषद् में इन स्कीमों को इम्पलीमेंट नहीं करा सकते हैं,मैन्टीनैन्स नहीं करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों गांव ऐसे हैं जिन में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, गरीब और पिछड़े इलाके हैं। अगर माननीय सदस्य, बांदा से पूछे तो वे बतायेंगे। पाठा में पानी की योजना हमने चलाई लेकिन वहां पर देख-रेख और सारा बन्दोबस्त करने में इतनी कठिनाई आई कि कहा नहीं जा सकता जिसके कारण हम वायबिल यूनिट्स बनाना चाहते हैं ताकि इन कमजोर इलाकों में, करोड़ों रुपया लगाकर जो हमने पीने के पानी की व्यवस्था की है, उसका ठीक से बन्दोबस्त हो सके। इस बिल के द्वारा हम चाहते हैं किये संस्थायें ऐसी हो जायं कि वे पूरी शक्ति से इस काम को उठा सकें। जो हमारी लोकल बौडीज हैं, वे क्या करती हैं? आप मंसूरी सिटी बोर्ड को ही देख लीजिए, वे बिजली और पानी के रूपये की जनरल फंड में डाल देते हैं लेकिन पानी और बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में नहीं लगाते हैं जिससे नागरिकों को बहुत कष्ट होता है। उससे माननीय सदस्य भी वाकिफ होंगे क्योंकि मसूरी से भी उनका नजदीक का सम्बन्ध है। पानी और बिजली से जो पैसा वसूल होता है यदि उसका कुछ हिस्सा भी इनके रख-रखाव में लगा दें तो ऐसी दशा न हो। देखा यह जा रहा है कि वह पुरानी ६ इंच की पाइप चली आ रही है, आज तक भी बदली नहीं गई है क्योंकि उनक पास पैसा नहीं है। उन्होंने कोई सिंकिंग फंड जमा नहीं कर रखा है।

अब सारे उत्तर प्रदेश के गांवों की दुर्गति तो है ही, शहरों पर भी ऐसा बोझा आ रहा है चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, कि जिन लोगों को जल देने की और सीवर लाइन की व्यवस्था की गयी है उससे ऐसा हो गया जैसा कि सभ्य देशों में है। मैं मानता हूं कि यूनाइटड स्टेट्स, यू० एस० एस० आर० ऐसे सभ्य देश हैं जो कई चीजों में अग्रगण्य हैं। खुद मास्को में किसी का दामाद या समधी आ जाय—जोकि बहुत नाजुक रिश्ते हैं तो भी बता देना होता है कि हम इतने दिनों तक रहेंगे ताकि यह अन्दाजा रहे कि कितने लोगों के लिए पानी है। यहां की तरह नहीं ह कि लखनऊ में साढ़े तीन लाख लोगों के लिये पानी का व्यवस्था है और १० लाख आ जायं, कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह बोर्ड अपनी शक्ति से काम कर नहीं पा रहे थे। इसलिये हम लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे इसके लिये कार्यवाही की जाय। केन्द्रीय सरकार से बातचीत हुई और केंन्द्रीय सरकार के निर्देश पर, उनके इशारे पर वर्ल्ड बैंक का रुपया प्लानिंग कमीशन के जरिये से आया। यह जरूर है कि वर्ल्ड बैंक के कोई एक्सपर्ट या कोई और खतरे हो सकते हैं—उनकी तरफ इशारे में कह रहा हूं कि हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमारे चलते उन खतरों का मुकाबला जितना हम कर सकेंगे वह करेंगे और हम देख लेंगे कि उनको न आने दें।

पर पानी की व्यवस्था के लिये इस ३२ करोड़ रुपये के करीब जो मिल रहा है, स्थिति सुधारने के लिए एक बात और भी हो गयी कि अगर केन्द्रीय सरकार और हमारे संसाधनों में कमी भी आवे तो और मदों में कमी आने के कारण कटौती करनी पड़ती है, पर इस मद में जो ३२ करोड़ रुपये रखे गये हैं वह हमें उपलब्ध रहेंगे ही चाहे किसी भी प्रकार का केन्द्र सरकार पर बोझ पड़ता हो। इसलिये हमने यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे वड़ा -बिल आर्गेनाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिये बन जायं। बड़े-बड़े जो हमारे निगम ह—कानपुर है, लखनऊ है, इनको हमने नहीं छुआ है, लेकिन उस पर भी पाबन्दी लगा रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के संबंध में कि वह वायबिल प्रोजक्ट्स बनावें। अगर रुपया चाहिए तो शर्त रहगीकि इस रुपये को अलग रखेंगे और प्राफिट-लास, मेंटीनेंस, रिजर्व फंड अलग बनायेंगे और उसको जनरल रेवेन्यू में जो न उनका और डिपार्टमेंट का है उसमें खर्च नहीं करेंगे।

मैं मानता हूं कि ऐसा कोई बिल नहीं हो सकता है जिसमें कोई न कोई दोष न हो। पर अगर आगे चलकर कोई दोष उभरेगा तो इस सदन की ताकत है उसकी दूर करने की। अगर सतर्क और सचेत होकर हम काम करेंगे तो इस बिल के द्वारा प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं को उससे काफी बल मिलेगा। हमारी मंशा उनको कमजोर करने की नहीं है बल्कि जो उनकी कमजोरी है उसको दूर करके उनको सहारा देनें की है और उसी उद्देश्य से यह बिल रखा गया है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वेलकम करता हूं बिल का। मुख्य मंत्री से एक प्रार्थना है। आपने इतने निगम बना दिये और बनाते चले जा रहे हैं और इस हाउस के लेजिस्लेटिव परव्यू के बाहर निकाले दे रहे हैं। देखिये हुजूर, आप सिर हिला रहे हैं। आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट का निगम बना दिया। अब इस हाउस में स्टेट ट्रांसपोर्ट का कुछ भी सवाल नहीं उठता है। आपने हाउस की लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि वे बिलकुल ह्वाइट एलीफेंट हो गये हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो बिलकुल ही ह्वाइट एलीफेंट हैं। कोई लेजिस्लेटिव कंट्रोल रहा नहीं है। उनकी इमारत बिलकुल अपनी अलग से होती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सिर्फ सफाई के लिये कह रहा हूं, आवश्यकता तो नहीं है। इस पर तो माननीय विरोधी दल के नेता जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं, उनके तो जरा इससे भी तीव्र विचार बार-बार हम सुन चुके हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इस हाउस की और अपर हाउस की बनी हुई है जो कमेटी स्टेज पर बराबर इन पब्लिक अंडरटेकिंग को देख रही है। यह सही नहीं है कि इन पर कन्ट्रोल नहीं है और उनके बारे में विचार नहीं होता। वार्षिक बजट पर बिजली बोर्ड के कार्यकलापों पर पूरी बहस हो चुकी है कि उसके लिये इतना रुपये दे रहे हैं। उसके द्वारा हमारा उनके ऊपर कंट्रोल होता है। माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं बिजली की सारी उपलब्धता के सम्बन्ध में, टूट-फूट के सम्बन्ध में, झगडे के सम्बन्ध में, उसका हम उत्तर देते हैं। तो यह सदन इससे अधिक और क्या करेगा। एक्जीक्युटिव आर्डर न यह सदन देता है, न देगा। उसके लिये कृपा करके हम लोगों को काम सौंपा गया है और हमको एग्जीक्युटिव आर्डर देने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी मैंने चेयरमैन की मीटिंग बुलायी थी और यह साफ समझा दिया है कि हमारी जो बेसिक पालिसी है, यानी जो सेक्युलर और सोशलिस्ट एप्रोच है उसको अगर यह प्रोमोट नहीं करता है तो बेमानी है। आप यह कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स इसमें हैं, टेक्नोट्स कम हैं, कमिटेड लोग नहीं है, हरिजन और माइनारिटी की भरती वहां कम होती है, इन बातों को गवर्नमेन्ट को देखना चाहिये और वह देखेगी भी। लेकिन यह कहना कि निगम बना कर लेजिस्लेचर को पंगु कर रहे हैं इससे वह मुर्दा घोड़ा आप उठा रहे हैं जिसको चरण सिंह जी भी नहीं खड़ा कर सके, आप कैसे खड़ा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अब्दुल रहमान खां 'नशतर', इतने संशोधन रख कर आप संतुष्ट नहीं। अब समय नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर है तो ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब कैसे हो सकता है? अब तो कौन्सिल में कराइये।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक जो कह दिया उसके बाद मुझे कुछ निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा से केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

वर्तमान विधेयक है इसके दो भाग हैं, एक जल निगम और एक जल संस्थान। निगम में वह पावर्स गयी हैं जो अब तक शासन का एल० एस० जी० ई० डी० करता था। तो जो माननीय सदस्य का यह आक्षेप था कि उसमें स्थानीय निकायों को कोई पावर चली गयी, वह नहीं है। जो माननीय ग्राइस जी ने लेजिस्लेचर कन्ट्रोल की बात कही उसके लिये तो मुख्य मंत्री जी ने बता दिया कि जितने हमारे संस्थान हैं वह गवर्नमेंट को ऐन्सरेबिल हैं और गवर्नमेन्ट लेजिस्लेचर को ऐन्सरेबिल है। तो इस तरह से उन पर लेजिस्लेचर का कन्ट्रोल रहता है।

वर्ल्ड बैंक की शर्तों के बारे में आपने कहा कि वह हमें बतानी चाहिये थी तो हमारी कोई विशेष शर्त नहीं है। रुपया लेने-देने की साधारण शर्तें हैं। एक शर्त उनकी थी और उसको हम ठीक समझे कि अगर वह हमको लोन दें तो जो हमारे ८०–९० स्थानीय निकाय हैं उनसे वह कैसे रुपया वसूल करें या रुपया दें। मुख्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष बताया कि स्थानीय निकाय एक मद का रुपया दूसरी मद में दे देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को यह कठिनाई थी कि वह ८५ या १०० यूनिट्स से डील नहीं कर सकते। वह तो एक, दो या तीन से ही डील कर सकते हैं। इसीलिये आवश्यकता पड़ी जल संस्थान बनाने की और हम यह भी समझते थे कि जल संस्थान बनाने से उनकी उपयोगिता, सक्षमता और एफिशियेन्सी को बढ़ाया जा सकेगा। इसलिये जल संस्थान बनाया। इससे स्थानीय निकायों के अधिकारों का हनन नहीं होता है। केवल जो टैरिफ लगने का अप्रिय कार्य करना पड़ता है जिसमें वह कभी-कभी चूक जाते हैं, उस को जल संस्थान करेगा। इसलिये हम स्थानीय निकायों को एक तरह से सहायता दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपने को स्पष्ट कर दिया है और यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

मेरा एक और प्रस्ताव था। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको इस समय रख दूं उस समय मैं हाजिर नहीं था। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ सदन के २७ दिसम्बर, १९७४ के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र अर्थात् १८ फरवरी, १९७५ से आरम्भ होने वाले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और उक्त प्रवर समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के १८ फरवरी, १९७५ के निश्चयानुसार समिति का कार्य–काल वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था और समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के उपनियम (१) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाय और प्रवर समिति को इस बढ़े हुये काल में भी सदन के १८ फरवरी, १९७५ के निश्चयानुसार विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।"

मान्यवर, प्रवर समिति ने यह निश्चय किया कि सारे राज्यों के जो विशेषज्ञ हैं उनका साक्ष्य लिया जाय। इसमें स्वाभाविक था कि समय लगे। अभी इसमें और समय लगेगा क्योंकि यह बिल बड़ा व्यापक है। आशा है यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि--"चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ सदन के २७ दिसम्बर, १९७४ के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र अर्थात् १८ फरवरी, १९७५ से आरम्भ होने वाले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और उक्त प्रवर समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण सदन के १८ फरवरी, १९७५ के निश्चयानुसार समिति का कार्यकाल वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था और समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के उपनियम (१) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय ;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाय और प्रवर समिति को इस बढ़े हुये काल में भी सदन के १८ फरवरी, १९७५ के निश्चयानुसार विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनाएं (कमागत)

श्री अध्यक्ष--

मुझे सूचना मिली है जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली से, दिनांक २६-७-७५ के उनके पत्र के अनुसार श्री राममूर्ति (बरेली) को दिनांक २६-७-७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ एवं भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और बरेली जेल में रखा गया है।

दूसरा है, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के दिनांक २८-७-७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्यप्रकाश मालवीय (इलाहाबाद) को लखनऊ में द० प्र० संहिता की धारा १०७/११३/११६ तथा भार० सु० कानून की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें लखनऊ जिला जेल में रखा गया है। पत्र में गिरफ्तारी की तारीख नहीं है।

तीसरा है, जिलाधिकारी/एस० पी०, मथुरा के वायरलेस मैसेज दिनांक २६-७-७५ के अनुसार श्री चन्दनसिंह (मथुरा) को दिनांक २६-७-७५ को केस संख्या ८०७, धारा ३६/४३ डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मथुरा जेल में रखा गया है।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२८ जुलाई, १९७५

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२ पर)

(बुलेटिन संख्या ७–८–९)

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या १८७२/६५(सं)–७४

दिनांक लखनऊ, २३ जुलाई, १९७५

बुलेटिन—७

इस सचिवालय के पूर्व बुलेटिन सं० १ से ६, दिनांक १२ व २३ दिसम्बर, १९७४ तथा ५ फरवरी, ८ व १९ अप्रैल तथा १७ मई, १९७५ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनायें माननीय सदस्यों को दी गई थीं। उसके पश्चात् अब तक निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं :—

१—जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के दिनांक १२ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री भीषम (बस्ती), दिनांक १० मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उसी दिन मुकदमे की सुनवाई के बाद रिहा किये गये। वह जेल नहीं भेजे गये।

२—परगनाधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ के दिनांक १५ मई, १९७५ के तार के अनुसार श्री रामअधार राय (आजमगढ़) को दिनांक १० मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जाती बांड पर रिहा किया गया।

३—जुडिशियल मजिस्ट्रेट (सिटी), इलाहाबाद के दिनांक १२ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्य प्रकाश मालवीय (इलाहाबाद), दिनांक १० मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और दिनांक ११ मई, १९७५ को सेन्ट्रल जेल, नैनी, इलाहाबाद में रखे गये। माननीय सदस्य दिनांक १७ मई, १९७५ को छोड़ दिये गये।

४—अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा के दिनांक १० मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री जगन्नाथ सिंह परमार (बांदा) की गिरफ्तारी, दोष सिद्ध पाये जाने तथा जेल भेजे जाने की सूचना दिनांक १७ मई, १९७५ को जारी की गई बुलेटिन–६ द्वारा प्रसारित की गई थी। माननीय सदस्य दिनांक ८ मई, १९७५ को अपनी सजा भुगतने के उपरान्त रिहा किये गये।

५—जिलाधीश, देवरिया के दिनांक १४ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री हरिकेवल प्रसाद (देवरिया) को दिनांक १२ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और देवरिया जेल में रखा गया।

६—जिलाधीश, देवरिया के दिनांक १४ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री कृपा शंकर आर्य (देवरिया) दिनांक १२ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और देवरिया जेल में रखा गया। माननीय सदस्य दिनांक १५ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

७--जिलाधीश, देवरिया के दिनांक १७ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री पुरुषोत्तम शर्मा कौशिक (देवरिया) दिनांक १२ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और देवरिया जेल में रखे गये। माननीय सदस्य दिनांक १५ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

८--चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोंडा के दिनांक १२ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, रामपति तथा दशरथ सिंह (गोंडा) को दिनांक १२ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। ये माननीय सदस्य जिला जेल, गोंडा में निरुद्ध रखे गये थे। इन्हें दिनांक २० मई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा दी गई और उसी दिन रिहा किये गये।

९--परगना मजिस्ट्रेट, गोंडा के पत्र दिनांक २१ मई, १९७५ के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (गोंडा) को दिनांक १३ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १५१/१०७/११६(सी) के अन्तर्गत जेल भेजा गया। माननीय सदस्य दिनांक २० मई, १९७५ को जेल से मुक्त किये गये।

१०--परगना मजिस्ट्रेट, तहसील शाहजहांपुर के दिनांक १३ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्य पाल सिंह (शाहजहांपुर) को दिनांक १३ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, शाहजहांपुर में बतौर विचाराधीन बन्दी रखा गया। माननीय सदस्य दिनांक १७ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

११--एस० डी० एम०, सदर, जौनपुर के दिनांक १२ तथा १६ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री उमानाथ सिंह (जौनपुर) दिनांक १२ मई, १९७५ को द० प्र० सं० की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत छः मास तक शान्ति बनाये रखने हेतु एक हजार का जाती मुचलका न देने के कारण गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, जौनपुर में रखे गये। शान्ति भंग की संभावना न रहने पर माननीय सदस्य दिनांक १६ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

१२--जिलाधिकारी, मिर्जापुर के दिनांक १५ व १६ मई, १९७५ के वायरलेस मैसेज के अनुसार श्री सूबेदार प्रसाद (मिर्जापुर) को दिनांक १५ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल भेजा गया। माननीय सदस्य को व्यक्तिगत प्रतिभू पर रिहा किया गया।

१३--जिला मजिस्ट्रेट तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देवरिया के दिनांक १४ व १६ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री हरकेवल प्रसाद (देवरिया), दिनांक १२ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता के धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। उन पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा १४४ को अवहेलना करने के दोषारोपण में मुकदमा चलाया गया। भारतीय संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराधी पाये गये। माननीय सदस्य को सात दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया और उन्हें जिला जेल, देवरिया में रखा गया।

१४--नगर मजिस्ट्रेट, बरेली के दिनांक १६ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्य प्रकाश (बरेली), दिनांक १६ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बरेली में रखे गये। माननीय सदस्य दिनांक १७ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

१५--जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के दिनांक १५/१६ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (बस्ती), दिनांक १५ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में धारा १८८ भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तार किये गये और जिला करागार, बस्ती में रखे गये। माननीय सदस्य दिनांक १९ मई, १९७५ को भर्त्सना के उपरान्त रिहा किये गये।

१६--जिलाधीश, हरदोई के दिनांक १७ मई, १९७५ के वायरलेस मैसेज के अनुसार श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (हरदोई) तथा श्री अगने लाल (हरदोई), दिनांक १६ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उसी दिन शाम को रिहा किये गये ।

१७--जिलाधिकारी, पीलीभीत के दिनांक १२ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री धीरेन्द्र सहाय (पीलीभीत), दिनांक १२ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, पीलीभीत में रखे गये ।

१८--जिलाधीश, रायबरेली के दिनांक १५ मई, १९७५ के तार के अनुसार श्री दीनानाथ सेवक (राय बरेली) दिनांक १५ मई, १९७५ को सी आर० पी०सी० की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, रायबरेली में रखे गये । माननीय सदस्य न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक १९ मई, १९७५ को रिहा किये गये ।

१९--जिलाधीश, बस्ती के दिनांक १७ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री रामरेखा यादव (बस्ती), दिनांक १५ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । तहसीलदार, नौगढ़ के न्यायालय के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के आरोप में उन्हें उक्त अधिकारी ने भविष्य के लिये चेतावनी का दण्ड दिया ।

२०--जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच के पत्र दिनांक २३ मई, १९७५ के अनुसार श्री गजाधर प्रसाद आर्य (बहराइच) दिनांक १२ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, बहराइच में रखे गये । माननीय सदस्य दिनांक २३ मई, १९७५ को रिहा किये गये ।

२१--नगर मजिस्ट्रेट, बरेली के दिनांक १३ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार सर्व श्री बादाम सिंह तथा श्याम बिहारी सिंह (बरेली), दिनांक १३ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बरेली में रखे गये । उक्त माननीय सदस्य दिनांक १४ मई, १९७५ को रिहा किये गये ।

२२--जिलाधीश, फर्रुखाबाद के दिनांक १४ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार सर्वश्री राम प्रकाश त्रिपाठी, धर्मपाल सिंह तथा झामलाल अहिरवार (फर्रुखाबाद), दिनांक १४ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा १८८ का मुकदमा कायम किया गया । वे जिला सेन्ट्रल जेल में रखे गये और श्री राम प्रकाश त्रिपाठी दिनांक १५ मई, १९७५ को और सर्वश्री धर्मपाल सिंह तथा झामलाल अहिरवार दिनांक १६ मई, १९७५ को रिहा किये गय ।

२३--जिलाधीश, फैजाबाद के पत्र दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (फैजाबाद), दिनांक १४ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और दिनांक २९ मई, १९७५ को जिला कारागार, फैजाबाद में रखे गये । माननीय सदस्य पर उक्त धारा के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । वह दोषसिद्ध पाये गये और उन्हें दिनांक १७ मई, १९७५ को न्यायालय के उठने तक कैद की सजा दी गई ।

२४--जिलाधीश, हरदोई के वायरलेस मेसेज दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार सर्वश्री शारदा भक्त सिंह, दधीचि सिंह तथा पूरन लाल (हरदोई), दिनांक १४ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और शाम को रिहा कर दिये गये ।

२५--जिलाधीश, पीलीभीत के बायरलेस मेसेज, दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार सर्वश्री किशन लाल तथा हरीश चन्द्र खन्डेलवाल (पीलीभीत), दिनांक १४ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, पीलीभीत भेजे गये ।

२६—जिलाधीश, बहराइच के पत्र दिनांक २८ मई, १९७५ के अनुसार श्री बाबूलाल वर्मा (बहराइच), दिनांक १४ मई, १९७५ को भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला जेल, बस्ती भेजा गया। माननीय सदस्य दिनांक २४ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

२७—परगना मजिस्ट्रेट, महरौनी, ललितपुर के पत्र दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार श्री रघुनाथ सिंह (झांसी), दिनांक १४ मई, १९७५ के सी आर० पी० सी० की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। उन पर परगना मजिस्ट्रेट, महरौनी के न्यायालय में मुकदमें की कायवाही की गई और अदालत उठने तक की सजा दी गई और उसी दिन बन्दी-करण से मुक्त किया गया।

२८—जिलाधीश, बाराबंकी के पत्र दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी), दिनांक १४ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जल, बाराबंकी में रखे गये। वह दिनांक १५ मई, १९७५ को जल में रोके जाने की अवधि समाप्त होने के उपरान्त जेल से छोड़ दिये गये।

२९—परगनाधीश, जौनपुर के पत्र दिनांक १५ मई, १९७५ के अनुसार श्री राजबहादुर यादव (जौनपुर), जिन्हें दिनांक १५ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ के साथ पठित भारतीय दण्ड विधान की धारा २२८ के अन्तर्गत सिद्धदोष ठहराया गया और उन पर पचास रुपये अर्थ दण्ड लगाया गया। माननीय सदस्य द्वारा अर्थ दण्ड अदा न करने पर उन्हें एक दिन के सधारण कैद की सजा दी गई और जेल भेजे गये। उक्त समय समाप्त होने पर उनको उसी दिन रिहा कर दिया गया।

३०—परगनाधीश, पडरौना, देवरिया के पत्र दिनांक १५ मई, १९७५ के अनुसार श्री श्रीनारायण उर्फ भुलई (देवरिया), दिनांक १५ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १४४ का उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जल, देवरिया में रखे गये। वे दिनांक १५ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

३१—जिलाधीश, मिर्जापुर के पत्र दिनांक १९ मई, १९७५ के अनुसार श्री आशाराम यादव (मिर्जापुर), दिनांक १५ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला कारागार भेजा गया। माननीय सदस्य दिनांक २० मई, १९७५ को रिहा किये गये।

३२—द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ, मिर्जापुर के दिनांक २३ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री शिव सम्पत्ति राम (मिर्जापुर), दिनांक १५ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन करने में आई० पी०सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला कारागार, मिर्जापुर में रखा गया। माननीय सदस्य पर उक्त धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसमें उन्होंने दिनांक २२ मई, १९७५ को अपना अपराध स्वीकार किया। माननीय सदस्य को अदालत उठने तक सजा भुगतने के उपरान्त दिनांक २२ मई, १९७५ को रिहा किया गया।

३३—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के दिनांक ३१ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार सर्वश्री गिरजा शंकर पाठक, रामनिहोर राय तथा रामरती बिन्द (वाराणसी), दिनांक १५ मई, १९७५ को आई० पी० सी० की धारा २२८ तथा सी आर० पी० सी० की धारा ३४५ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इन माननीय सदस्यों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत अदालत उठने तक के कारावास की सजा दी गयी तथा सजा भोगने के उपरान्त उन्हें रिहा किया गया।

३४—थाना अध्यक्ष, घाटमपुर, कानपुर के तार दिनांक १५ मई, १९७५ के अनुसार श्री केशरी लाल (कानपुर) को दिनांक १५ मई, १९७५ को जाब्ता फौजदारी की धारा १५ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और वे उसी दिन मुक्त किये गये।

३५—न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), बुलन्दशहर के दिनांक १५ मई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्यवीर सिंह (बुलन्दशहर) को दिनांक १५ मई, १९७५ को जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ का उल्लंघन करने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, बुलन्दशहर के न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया। माननीय सदस्य द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर उक्त धारा के अधीन उन्हें सिद्ध-दोष किया गया और उन्हें जिला जेल, बुलन्दशहर, में व्यतीत की गई अवधि तक साधारण कारावास का दण्ड दिया गया। माननीय सदस्य दिनांक १५ मई, १९७५ से दिनांक ५ जून, १९७५ तक बन्दी रहे। माननीय सदस्य दिनांक ५ जून, १९७५ को रिहा किये गये।

३६—सिटी मजिस्ट्रेट, इटावा के पत्र दिनांक १५ मई, १९७५ के अनुसार श्री भारतसिंह चौहान (इटावा) को दिनांक १४ मई, १९७५ को सिटी मजिस्ट्रेट, इटावा के न्यायालय के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ के अन्तर्गत न्यायालय की मानहानि के अपराध में दोषसिद्ध होने के कारण रु० २५ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय सदस्य ने चूंकि उक्त अर्थदण्ड अदा नहीं किया अतः उन्हें दिनांक १४ मई, १९७५ को बन्दी किया गया और दो दिवस का साधारण कारावास भोगने हेतु जिला जेल, इटावा में रखा गया। सजा भुगतने के उपरान्त माननीय सदस्य १५ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

३७—अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट, इटावा के पत्र दिनांक १७ मई, १९७५ के अनुसार श्री गोरेलाल शाक्य (इटावा) को दिनांक १६ मई, १९७५ को अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट, इटावा के न्यायालय के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ के अन्तर्गत न्यायालय की मानहानि के अपराध में दोषसिद्ध होने के कारण रु० २५ के अर्थ दन्ड से दण्डित किया गया। माननीय सदस्य ने चूंकि उक्त अर्थदण्ड अदा नहीं किया अतः उन्हे दिनांक १६ मई, १९७५ को बन्दी किया गया और दो दिवस का साधारण कारावास भोगने हेतु जिला जेल, इटावा में रखा गया। सजा भुगतने के उपरान्त माननीय सदस्य दिनांक १७ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

३८—सिटी मजिस्ट्रेट तथा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इटावा के पत्र दिनांक १६ मई, १९७५ के अनुसार श्री रामलखन (इटावा) को दिनांक १५ मई, १९७५ को सिटी मजिस्ट्रेट इटावा के न्यायालय के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ के अन्तर्गत न्यायालय की मानहानि के अपराध में दोषसिद्ध होने के कारण २५ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय सदस्य ने चूंकि उक्त अर्थदण्ड अदा नहीं किया अतः उन्हें दिनांक १५ मई, १९७५ को बन्दी किया गया और दो दिवस का साधारण कारावास भोगने हेतु जिला जेल, इटावा में रखा गया। सजा भुगतने के उपरान्त माननीय सदस्य दिनांक १६ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

३९—परगना मजिस्ट्रेट, कालपी, जालौन के पत्र दिनांक १९ मई, १९७५ के अनुसार श्री बीर सिंह (जालौन), दिनांक १४ मई, १९७५ को सी आर० पी० सी० की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जल, उरई में रखा गया। माननीय सदस्य दिनांक १७ मई, १९७५ को रहा किये गये।

४०—परगना मजिस्ट्रेट, सदर, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक १४ मई, १९७५ के अनुसार श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर) को दिनांक १४ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, सुल्तानपुर में रखा गया। माननीय सदस्य दिनांक १५ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

४१—नगर मजिस्ट्रेट, बरेली के पत्र दिनांक १७ मई, १९७५ के अनुसार सर्वश्री राममूर्ति तथा हरीशकुमार गंगवार (बरेली) को दिनांक १७ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और सेन्ट्रल जेल, बरेली में रखा गया वे उसी दिन रात में रिहा किये गये।

४२—परगना मजिस्ट्रेट, सदर, आजमगढ़ के तार दिनांक १६ मई, १९७५ के अनुसार श्री मोहम्मद मसूद (आजमगढ़) को दिनांक १६ मई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल आजमगढ़ में रखा गया। माननीय सदस्य, दिनांक १९ मई, १९७५ को रिहा किये गये।

४३—मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के पत्र दिनांक २९ मई, १९७५ के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (सहारनपुर) की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना इस सचिवालय के बुलटिन—६, दिनांक १७ मई, १९७५ द्वारा प्रसारित की गई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने अपने दिनांक २९ मई, १९७५ के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि दिनांक ५ मई, १९७५ को माननीय सदस्य पर सी आर० पी० सी० की धारा १४४ के उल्लंघन में आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। वे उक्त तिथि को उक्त धारा के अन्तर्गत अपराधी पाये गये और उन्हें न्यायालय के उठने तक की सजा दी गई।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या १८७३/६५ (सं)—७४

दिनांक, लखनऊ, २३ जुलाई, १९७५

बुलेटिन—८

इस सचिवालय के बुलेटिन—१, दिनांक १२ दिसम्बर, १९७४; बुलेटिन—२, दिनांक २३ दिसम्बर, १९७४; बुलेटिन—३, दिनांक ५ फरवरी, १९७५; बुलेटिन—४, दिनांक ८ अप्रैल, १९७५; बुलेटिन—५, दिनांक १९ अप्रैल, १९७५; बुलेटिन—६, दिनांक १७ मई, १९७५; तथा बुलेटिन—७, दिनांक २३ जुलाई, १९७५ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनायें माननीय सदस्यों को दी गई थीं। इसके पश्चात् अब तक निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं :—

१—जिलाधिकारी, हरदोई के दिनांक २६ जून, १९७५ के वायरलेस मेसेज तथा तार के अनुसार श्री शारदा भक्त सिंह (हरदोई), दिनांक २६ जून, १९७५ को डी० आई० आर० के नियम ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। माननीय सदस्य को दिनांक ६ जुलाई, १९७५ को जेल में मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की नोटिस दी गई। जिलाधिकारी, हरदोई के दिनांक १५ जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार माननीय सदस्य को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाना निरस्त किया गया किन्तु वे डी० आई० आर० के अन्तर्गत जेल में रखे गये। इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक, हरदोई के दिनांक २० जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार माननीय सदस्य, दिनांक १९ जुलाई, १९७५ को जमानत पर रिहा किये जाने के उपरान्त मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये। वे अब भी जेल में हैं।

२—जिलाधिकारी, उन्नाव के दिनांक २६ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री शिवपाल सिंह (उन्नाव) को दिनांक २६ जून, १९७५ को अपराध सं० ४७० में भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल, उन्नाव में रखा गया। चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, उन्नाव के दिनांक ३०-६-७५ के पत्र के अनुसार माननीय सदस्य को पहले दिनांक ३० जून, १९७५ तक तथा उसके उपरान्त और १४ दिन के लिये जुडीशियल कस्टडी में रिमान्ड किया गया।

३—जिलाधिकारी, दिल्ली के दिनांक २६ जून, १९७५ के तार तथा पत्र के अनुसार श्री चरण सिंह (मेरठ) को दिनांक २६ जून, १९७५ को मेन्टीनेंस आफ सिक्योरिटी ऐक्ट की धारा ३ (१) (ऐ) (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें दिल्ली की तीहर सेन्ट्रल जेल में रखा गया।

४—जिलाधिकारी तथा जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय, इलाहाबाद के दिनांक २६ जून, १९७५ के तार तथा दिनांक १ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री तीरथ राम कोहली (इलाहाबाद) को दिनांक २६ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें केन्द्रीय कारागार, नैनी में रखा गया। जिलाधिकारी, इलाहाबाद के दिनांक १४ जुलाई, १९७५ के तार के अनुसार, माननीय सदस्य को दिनांक १२ जुलाई, १९७५ से मीसा की धारा ३ (१) (ए) (ii) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।

५—जिलाधिकारी, मेरठ के दिनांक २७ जून, १९७५ के वायरलेस मेसेज तथा पत्र के अनुसार श्री मोहनलाल कपूर (मेरठ) को दिनांक २७ जून, १९७५ को सुरक्षा अधिनियम की धारा ३ (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल, मेरठ में रखा गया।

६—जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के दिनांक २७ जून, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार श्री धीरेन्द्र सहाय को दिनांक २७ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

७—जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के दिनांक २७ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री सत्य प्रकाश (बरेली) को दिनांक २७ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल, बरेली में रखा गया।

८—जिलाधिकारी, मुरादाबाद के दिनांक २७ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (मुरादाबाद) को दिनांक २७ जून, १९७५ को अभियोग संख्या ५७१/७५ में डी० आई० आर० की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल, बरेली में रखा गया। माननीय सदस्य जुडीशियल कस्टडी में दिनांक ११ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड किये गये।

९—परगना मजिस्ट्रेट, पडरौना, जिला देवरिया के दिनांक २७जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री पुरुषोत्तम शर्मा कौशिक (देवरिया) दिनांक २७ जून, १९७५ को सी, आर० पी० सी० की धारा १०७/१५१/११६(३) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल, देवरिया में रखा गया। माननीय सदस्य को दिनांक ७ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखा गया। परगना मजिस्ट्रेट, पडरौना, देवरिया के दिनांक १४ जुलाई, १९७५ के तार के अनुसार माननीय सदस्य को दिनांक २६ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखा गया है।

१०—जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के दिनांक २७ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री एदल सिंह (बुलन्दशहर), दिनांक २६ जून, १९७५ को अभियोग सं० ५०९ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ तथा नियम ४३, आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बुलन्दशहर में रखे गये।

११—जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर के दिनांक २७ जून, १९७५ तथा दिनांक २ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री मिश्रयार खां (बरेली) को दिनांक २७ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, रामपुर में रखा

गया। सेशन्स जज, रामपुर ने दिनांक २ जुलाई, १९७५ को माननीय सदस्य की जमानत स्वीकार की। जिलाधीश, रामपुर के दिनांक १४ जुलाई, १९७५ के रेडियोग्राम के अनुसार माननीय सदस्य मीसा की धारा ३ (१) (ए) (ii) के अनुसार निरुद्ध किये गये थे, दिनांक १४ जुलाई, १९७५ को रिहा कर दिये गये। उनका डिटेन्शन आर्डर सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

१२—जिलाधिकारी, बहराइच के दिनांक २९ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री बाबू लाल वर्मा (बहराइच) को दिनांक २९ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, बहराइच में रखा गया।

१३—जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के दिनांक २९ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री कल्याण सिंह (अलीगढ़) दिनांक २९ जून, १९७५ को मीसा की धारा ३ (१) (ए) (१) (२) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, अलीगढ़ में रखे गये।

१४—जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के दिनांक २८ जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री भीषम (बस्ती) दिनांक २७ जून, १९७५ को मुकदमा धारा ३५३/५०६ भारतीय दण्ड विधान में गिरफ्तार किये गये और उसी दिन जमानत मुचलके पर रिहा किये गये।

१५—जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं के दिनांक ३० जून, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री जुगल किशोर (बदायूं) दिनांक २८ जून, १९७५ को भारतीय सुरक्षा अधिनियम की नियमावली के नियम ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बदायूं में रखे गये।

१६—जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के दिनांक २८/३०-६-७५ के पत्र के अनुसार श्री कैलाश सिंह (बलिया) दिनांक २७-६-७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३(५) के अन्तर्गत-गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला जेल, बलिया में रखा गया।

१७—जिला मजिस्ट्रेट, गोंडा के दिनांक २९ जून, १९७५ के तार के अनुसार श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा) दिनांक २९ जून, १९७५ अभियोग सं० ६८३ डी० आई०आर० के नियम ४३ (५) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला में रखा गया।

१८—पुलिस अधीक्षक, देवरिया के दिनांक ३० जून, १९७५ के तार के अनुसार श्री कृष्णाराय (देवरिया) को दिनांक २९ जून, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ४३/३६ तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, देवरिया में रखा गया।

१९—जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के दिनांक २८ जून, १९७५ के तथा परगना अधिकारी, मुजफ्फरनगर के दिनांक ११ जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज तथा तार के अनुसार श्री लक्ष्मण सिंह (मुजफ्फरनगर) दिनांक २८ जून, १९७५ को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, मुजफ्फरनगर में रखे गये।

२०—जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा न्यायिक अधिकारी, गाजीपुर के दिनांक १ जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज तथा तार के अनुसार श्री रामजनम राय (गाजीपुर) दिनांक १ जुलाई, १९७५ को अपराध सं० ३१३/७५, आई० पी०सी० की धारा १२४(ए) १८८ और डी० आई० आर० के नियम ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और १४ दिवस के रिमांड पर दिनांक १४ जुलाई, १९७५ तक जिला कारागार, गाजीपुर में रखे गये।

२१—जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के दिनांक १ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री भगवती सिंह (फैजाबाद) दिनांक १ जुलाई, १९७५ को अभियोग सं० १५१ डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ तथा क्रि० ला० अ० ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उसी दिन रिमान्ड पर जिला कारागार भेजे गये।

२२—जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के दिनांक २ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री फिरंगी प्रसाद (गोरखपुर) को दिनांक २ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा

३६/४३/६९ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और वे रिमान्ड पर जिला जेल, गोरखपुर में रखे गये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के दिनांक १२ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार माननीय सदस्य को दिनांक १६ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखा गया।

२३—जिलाधिकारी तथा अधीक्षक, बांदा के दिनांक ३ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री जमुना प्रसाद बोस (बांदा) दिनांक २ जुलाई, १९७५ को मे० आ० इ० सि० ऐक्ट की धारा ३(२) तथा मे० आ० ई० सि० आर्डिनेन्स के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बांदा में रखे गये।

२४—जिलाधीश, मुजफ्फरनगर एवं परगनाधिकारी, मुजफ्फरनगर के दिनांक ७ जुलाई, १९७५ व ११ जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार श्री नन्दराम (मुजफ्फरनगर), दिनांक ७ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ४३/३३ (१) (ए) तथा आई० पी० सी० की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, मुजफ्फरनगर में रखे गये। माननीय सदस्य दिनांक २१ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड किये गये।

२५—जिलाधिकारी, गोरखपुर के दिनांक ७ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (गोरखपुर) को दिनांक ७ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३३(३) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और रिमान्ड पर जिला जेल, गोरखपुर में रखा गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के दिनांक १२ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार माननीय सदस्य दिनांक २१ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखे गये।

२६—जिलाधिकारी, बहराइच के दिनांक ६ जुलाई, १९७५ के तार के अनुसार श्री गजाधर प्रसाद आर्य (बहराइच) दिनांक ६ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बहराइच में रखे गये।

२७—जिलाधिकारी, गोरखपुर के दिनांक ९ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री मधुकर दिघे (गोरखपुर) दिनांक ९ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ व आई० पी० सी० की धारा १८८/१२१-ए/१२४-ए के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और रिमान्ड प्राप्त करके, जिला कारागार, गोरखपुर में रखे गये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के पत्र दिनांक १२ जुलाई, १९७५ के अनुसार माननीय सदस्य दिनांक २३ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखे गये।

२८—मुख्य न्यायिक दन्डाधिकारी, मथुरा के दिनांक ९ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री राम बाबू मिश्रा (मथुरा) दिनांक ९ जुलाई, १९७५ को १९७४ के अपराध संख्या ७८५, धारा १४७/३५३/३०७ भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और दिनांक ९ जुलाई, १९७५ को सक्षम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किये गये और वांछित जमानत व व्यक्तिगत बन्धक-पत्र देने पर उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिये गये।

२९—जिलाधिकारी, गोरखपुर के दिनांक ८ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री अब्दुल रऊफ लारी (गोरखपुर) दिनांक ८ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और रिमान्ड प्राप्त करके जिला जेल, गोरखपुर में रखे गये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के दिनांक १२ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार माननीय सदस्य दिनांक २२ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखे गये।

३०—जिलाधीश, एटा के दिनांक ७ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री गंगा प्रसाद वर्मा (एटा) दिनांक ७ जुलाई, १९७५ को क्रिमिलन ला अमेन्डमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और वे जेल भेजे गये। माननीय सदस्य दिनांक १९ जुलाई, १९७५ तक रिमान्ड पर रखे गये।

३१—जिलाधीश, फर्रुखाबाद के दिनांक १० जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (फर्रुखाबाद) दिनांक १० जुलाई, १९७५ को अपराध संख्या २४८, भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

३२--जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के दिनांक १२ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री तेज सिंह (बुलन्दशहर) को दिनांक १२ जुलाई, १९७५ को धारा १८८ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया।

३३--अतिरिक्त जिलाधिकारी, मुरादाबाद के दिनांक १४ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद) दिनांक १३ जुलाई, १९७५ को भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, मुरादाबाद में रखे गये।

३४--अतिरिक्त जिलाधिकारी, मिर्जापुर के दिनांक १७ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री आशाराम यादव (मिर्जापुर) दिनांक १२ जुलाई, १९७५ को भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, मिर्जापुर में रखे गये।

३५--जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के दिनांक १५ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री हिम्मत सिंह (बुलन्दशहर) दिनांक १५ जुलाई, १९७५ को अभियोग संख्या ७५९, भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ तथा भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये।

३६--जिलाधिकारी, लखनऊ के दिनांक १९ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री मोतीलाल देहलवी (कानपुर) दिनांक १९ जुलाई, १९७५ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ तथा भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत लखनऊ में गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, लखनऊ में रखे गये।

३७-३८--जिलाधिकारी, आगरा के दिनांक २१ जुलाई, १९७५ को टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्री मुल्तान सिंह (आगरा) तथा राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह (आगरा) दिनांक २१ जुलाई, १९७५ को ११.३८ बजे गिरफ्तार किये गये। आगरा से प्राप्त दिनांक २१ जुलाई, १९७५ के तार एवं अधीक्षक, जिला जेल, आगरा के दिनांक २१ जुलाई, १९७५ के वायरलस मेसेज के अनुसार माननीय सदस्य दिनांक २१ जुलाई, १९७५ को मीसा की धारा ३ (१) (ए) (२) के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये और जेल भेजे गये।

३९--जिलाधिकारी, बाराबंकी के दिनांक १९ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री नन्हें लाल कुरील (बाराबंकी) दिनांक १९ जुलाई, १९७५ को भारतीय दण्ड विधान की द्वारा ११७/१८८/१२४ एवं धारा ४३ डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, बाराबंकी में रखे गये।

४०--अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के दिनांक १९ जुलाई, १९७५ के पत्र के अनुसार श्री केशरी लाल कुरील (कानपुर) दिनांक १९ जुलाई, १९७५ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ तथा डी० आई० आर० की धारा ४३ के अन्तर्गत लखनऊ में गिरफ्तार किये गये और लखनऊ जिला जेल में रखे गये।

४१--परगनाधीश,, देवरिया के दिनांक १९ जुलाई, १९७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार श्री हरिकेवल प्रसाद (देवरिया) दिनांक १९ जुलाई, १९७५ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ तथा डी० आई० आर० की धारा ४३/३६ तथा क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम, देवरिया के दिनांक २१ जुलाई, १९७५ क वायरलेस मेसेज एवं पुलिस अधीक्षक, देवरिया के दिनांक २० जुलाई, १९७५ के तार के अनुसार माननीय सदस्य दिनांक १९ जुलाई, १९७५ को अभियोग सं० १४० एवं ११५ में डी० आई० आर० की धारा ४३/३६, धारा ७ क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट एवं धारा १८८ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या १९२४/६५(सं)–७५

दिनांक, लखनऊ, २६ जुलाई, १९७५

बुलेटिन–९

इस सचिवालय के बुलेटिन–१, दिनांक १२–१२–७४, बुलेटिन–२, दिनांक २३–१२–७४, बुलेटिन–३, दिनांक ५–२–७५, बुलेटिन–४, दिनांक ८–४–७५, बुलेटिन–५, दिनांक १९–४–७५, बुलेटिन–६, दिनांक १७–५–७५, बुलेटिन–७ तथा बुलेटिन–८ दिनांक २३–७–७५ द्वारा उत्तर प्रदेश, विधान सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचना मा० सदस्यों को दी गयी थी। इसके पश्चात् अब तक निम्नलिखित मा० सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचना संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं :—

(१) जिला अधिकारी, आगरा के दिनांक २१–७–७५ के पत्र के अनुसार श्री शिवचरन लाल (आगरा) दिनांक २१–७–७५ को मीसा की धारा ३ (१) (ए) (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, आगरा में रखे गये। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा के दिनांक २३–७–७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार मा० सदस्य २३–७–७५ को केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरित किये गये।

(२) जिलाधिकारी, मथुरा के दिनांक २१–७–७५ के पत्रानुसार श्री राधाचरण सिंह (मथुरा) दिनांक २१–७–७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये एवं तत्पश्चात् मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये और जिला जेल, मथुरा में रखे गये।

(३) जिलाधिकारी, अलीगढ़ एवं अधीक्षक, जिला जेल, अलीगढ़ के दिनांक २१–७–७५ के वायरलेस मेसेज एवं तार के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) दिनांक २१–७–७५ को मीसा की धारा ३ (१) (ए) (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और अलीगढ़ जेल में रखे गये।

(४) जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बस्ती के दिनांक २३–७–७५ के रेडियोग्राम तथा २४–७–७५ के वायरलेस मेसेज के अनुसार श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (बस्ती) दिनांक २३–७–७५ को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, बस्ती में रखे गये।

(५) मा० सदस्य, श्री आशाराम यादव (मिर्जापुर) की गिरफ्तारी आदि एवं जेल भेजे जाने की सूचना, जो बुलेटिन–८ में प्रसारित की गई है। इस सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला जेल, मिर्जापुर के दिनांक २२–७–७५ के रेडियोग्राम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मा० सदस्य को दिनांक २०–७–७५ को जिला कारागार, मिर्जापुर से सेन्ट्रल जेल, वाराणसी में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(६) तथा (७) मा० सदस्य सर्वश्री मुल्तान सिंह एव राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह की गिरफ्तारी एव जेल भेजे जाने की सूचना जो बुलेटिन–८ में प्रसारित की गई है। इस संबंध में अधीक्षक सेन्ट्रल जेल, आगरा के दिनांक २३–७–७५ के वायरलेस मेसेज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दोनों मा० सदस्यों को दिनांक २३–७–७५ को जिला जेल, आगरा से सेन्ट्रल जेल, आगरा स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(८) जिलाधिकारी, अलीगढ़ के दिनांक २४–७–७५ के रेडियोग्राम के अनुसार श्री इन्द्र पाल सिंह (अलीगढ़) दिनांक २४–७–७५ को मीसा की धारा ३ (१) (ए) (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, अलीगढ़ में रखे गये।

(९) मुंसिफ हवाली आजमगढ़ के दिनांक २५–७–७५ के पत्रानुसार श्री राम अधार राय (आजमगढ़) दिनांक २४–७–७५ को अपराध सं० ७२३ में डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत हिरासत में लिये गये।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५

मानव तथा पशु उपयोग, सिंचाई और औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ जल के युक्ति संगत वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों के पर्वतीय भू–भागों में जल स्रोत को लोक–हित में विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिये

विधेयक

(भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है) :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार नैनीताल जिले के काशीपुर, भावर तथा तराई सब–डिवीजनों और गढ़वाल डिवीजन के कोटद्वार भावर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजन में होगा।

परिभाषाएं

२—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'जलवाह क्षेत्र' का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन इस रूप में सीमांकित क्षेत्र से है ;

(ख) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ग) 'जल' का तात्पर्य नदी, प्राकृतिक जल प्रणाली से बहने वाला सोता, प्राकृतिक झील तथा तालाब या जलाशय के जल से है और इसके अन्तर्गत वर्षा–जल भी है ;

(घ) "जल स्रोत" का तात्पर्य भूमिगत सोते से अपने आप निकलने वाले जल, जल प्रणाली तथा नदी, झील, तालाब, जलाशय और स्थिर जल के संग्रह से है जिसके अन्तर्गत वर्षा–जल भी है ;

(ङ) "जल प्रणाली" का तात्पर्य मानव या पशु उपभोग, सिंचाई या उद्योग के जिसके अन्तर्गत पनचक्कियों को चलाना भी है, प्रयोजनार्थ जल ले जाने के लिये प्रयुक्त जल प्रणाली है।

जल के उपभोग के अधिकार का समाप्त किया जाना

३—१५ जुलाई, १९७५ को और इस दिनांक से, जिन क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार हो उनमें जल के उपभोग के सभी वर्तमान अधिकार, (चाहे वे रूढ़िगत हों या अन्यथा और चाहे वे किसी व्यक्ति में निहित हों या ग्राम समुदाय में) यदि कोई हों, समाप्त हो जायेंगे।

जल तथा जल स्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति

४—(१) राज्य सरकार को—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा जल तथा जल स्रोतों के संग्रह, संचय तथा वितरण को विनियमित तथा नियंत्रित करने;

(ख) जल स्रोतों के ग्राह्य क्षेत्र को सीमांकित करने और उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी घोषणा को संशोधित या रद्द करने, की शक्ति होगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य सरकार उन व्यक्तियों तथा ग्राम समुदायों को अधिमानता दे सकती है जिनके जल के उपभोग करने का अधिकार धारा ३ के अधीन समाप्त कर दिया गया हो ।

(३) यदि उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कोई क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया हो तो, जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, कोई व्यक्ति परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर (जिसे आगे परगना अधिकारी कहा गया है) की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से किसी वृक्ष या उसके भाग को न तो काटेगा, न गिरायेगा और न हटायेगा ।

जल प्रणाली आदि का निर्माण करने की शक्ति

५—(१) राज्य सरकार को किसी व्यक्ति की या उसके द्वारा धृत भमि में या उसके ऊपर या उसके बीच से किसी जल प्रणाली, तालाब या जलाशय का निर्माण करने, या कोई पम्पिग मशीन बैठाने या कोई पाइप लाइन बिछाने की शक्ति होगी, किन्तु उससे यह नहीं समझा जायेगा कि उसने ऐसी भूमि में उक्त प्रयोजन के लिये उपभोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित किया है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य सरकार भमि को यथासम्भव कम से कम क्षति पहुंचायेगी, और यदि उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी कार्य के दौरान सम्पूर्ण भूमि या उसका भाग उस प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाय जिसके लिए उसका उपयोग उक्त कार्य प्रारम्भ करने के ठीक पूर्व किया जा रहा था तो भूमि में हितबद्ध व्यक्ति ऐसी दर पर प्रतिकर के हकदार होंगे जो विहित की जाय ।

(३) हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रतिकर की धनराशि परगना अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(४) परगना अधिकारी के उपधारा (३) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने वाले आदेश से व्यथित कोई पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से ३० दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है और जिला न्यायाधीश उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है, और उसे किसी अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है, और ऐसी अपील पर दिया गया आदेश अतिम होगा ।

निर्माण आदि पर निबन्धन

६—कोई भी व्यक्ति परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी जल स्रोत से जल-संभरण प्राप्त करने के आशय से किसी जल-प्रणाली, तालाब, जलाशय अथवा पनचक्की का न तो निर्माण करेगा, न निर्माण करायेगा, न कोई पम्पिग मशीन बैठायेगा न बिठवायेगा और न बिछायेगा और न बिछवायेगा ।

जलवाह क्षेत्र में वृक्ष आदि काटने के विरुद्ध प्रतिषेध

७—कोई भी व्यक्ति परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना जल स्रोतों के जलवाह क्षेत्र में किसी वृक्ष, झाड़ी, गुल्म को नहीं काटेगा या नई खेती प्रारम्भ नहीं करेगा या भूमि की वनस्पति को किसी प्रकार नष्ट नहीं करेगा या सूखी घास को नहीं जलायेगा या पशुओं को नहीं चरायेगा ।

अनुज्ञा देना

८—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ६ में उल्लिखित वस्तुओं का निर्माण करने, उन्हें लगाने अथवा बिछाने की या धारा ७ में उल्लिखित कार्य करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये परगना अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परगना अधिकारी जांच करेगा और वह जनहित में आवेदित अनुज्ञा दे सकता है अथवा उसे देने से इन्कार कर सकता है, और यदि इस प्रकार अनुज्ञा दी जाय तो परगना अधिकारी ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जिन्हें वह न्यायसंगत या उचित समझे।

(३) उपधारा (२) के अधीन परगना अधिकारी का आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

अनुज्ञा या प्रति-संहरण

९—(१) धारा ८ के अधीन अथवा कुमायूं वाटर रूल्स, १९३० के अधीन दी गयी तथा धारा १८ के आधार पर प्रवर्तनशील किसी अनुज्ञा को परगना अधिकारी प्रतिसंहृत कर सकता ह यदि सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा को नियंत्रित करने वाली किसी शर्त को भंग करता है, अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गयें नियमों के अधीन किसी उपबन्ध का अन्यथा उल्लंघन करता है ।

(२) परगना अधिकारी द्वारा उप धारा (१) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय ।

(३) उपधारा (१) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

अप्राधिकृत कार्य का हटाया जाना

१०—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी जल प्रणाली, तालाब, जलाशय या पनचक्की का निर्माण किया गया है, या किया जा रहा है, अथवा कोई पम्पिंग मशीन लगाई गयी है या लगाई जा रही है, अथवा कोई पाइप लाइन बिछाई गयी है या बिछाई जा रही है तो परगना अधिकारी संबद्ध व्यक्ति को नोटिस देने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, यथास्थिति उसे हटा दे या रोक दे या भूमि को उसकी पूर्व स्थिति में ला दे।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के अधीन आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न करे तो परगना अधिकारी उस आदेश के अनुसार किसी कार्य को उस व्यक्ति के खर्च पर करा सकता ह और ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

(४) उपधारा (२) के अधीन किया गया कोई खर्च, परगना अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उसमें उल्लिखित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा ।

अपील

११—धारा ८ या धारा ९ या धारा १० के अधीन परगना अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, कलेक्टर के समक्ष विहित रीति से अपील कर सकता है, और अपील पर कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा ।

विभिन्न प्राधिकारियों की शक्ति और उनके द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया ।

१२—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी विवाद का निपटारा करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनार्थ परगना अधिकारी और कलेक्टर को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका बयान परीक्षण करना ;

(ख) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ग) कोई स्थानीय निरीक्षण करना, या साक्षियों का परीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करने के लिये कमीशन जारी करना ;

(घ) दस्तावेजों का पता लगाना तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) किसी पक्षकार को तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए खर्चा या विशेष खर्चा दिलाना या किसी पक्षकार से खर्चे के लिये प्रतिभूति देने की अपेक्षा करना ;

(च) कोई विधिमान्य करार या समझौता अभिलिखित करना तथा उसके अनुसार कोई आदेश देना ;

(छ) किसी त्रुटि के लिये कोई आवेदन पत्र या अपील खारिज करना और पर्याप्त कारणों से उसे पर्यावर्तित करना ;

(ज) किसी मामले को एक पक्षीय निर्णीत करना तथा एक पक्षीय दिये गये किसी आदेश को, पर्याप्त कारणों से, अपास्त करना ;

(झ) किसी आवेदन पत्र, आपत्ति या अपील के ज्ञापन में संशोधन अनुज्ञा देना ;

(ञ) अस्थायी व्यादेश, प्रतिषेधात्मक तथा आज्ञापक, दोनों जारी करना ;

(ट) किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, परगना अधिकारी या कलेक्टर को न्याय के प्रयोजनार्थ या इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार के किसी आदेशिका के दुरुपयोग के निवारणार्थ कोई आदेश देने की शक्ति होगी ।

परिसीमन अधिनियम १९६३ का लागू होना

१३—परिसीमन अधिनियम, १९६३, की धारा ४, ५ तथा १२ के उपबन्ध, जहां तक वे प्रयोज्य हों, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

शास्ति

१४—(१) किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है या ऐसा उल्लंघन करने का प्रयास या दुष्प्रेषण करता है, सिद्ध दोष होने पर पांच सौ रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहे पच्चीस रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायेगा ।

(२) इस धारा के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

१५—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी

के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण करने के लिए सभी सम्यक् प्रयास किया था।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबंध अभिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के सम्मति या मौनानुमति से किया गया या उपेक्षाजनित है तो कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमति निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

कार्य का संरक्षण

१६—इस अधिनियम के अधीन किये जाने या दिये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्यवाही या आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

१७—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कुमायूं वाटर सप्लाई रूल्स, १९३०, का जारी रहना

१८—कुमायूं वाटर सप्लाई रूल्स, १९३०, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि धारा १७ द्वारा प्रदत्त या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करके बनाये गये नियमों द्वारा उनको परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय।

निरसन तथा अपवाद

१९—(१) कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १५, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानो यह अधिनियम १५ जुलाई, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य और कारण

कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों और नैनीताल जिले के बहुत से भागों में जल सम्भरण तथा वितरण पहले कुमायूं वाटर रूल्स, १९३० से नियंत्रित होता था। उक्त रूल्स स्वयं में नितान्त अपर्याप्त थे और उनका अग्रेतर संशोधन केवल विधायन के माध्यम से ही सम्भव था। उक्त रूल्स के अधीन पर्वतीय भू भाग में जल के उपभोग करने का अधिकार व्यक्तियों और सम्बद्ध ग्राम समुदायों में निहित था। मानव तथा पशु उपयोग के प्रयोजनों और सिंचाई सम्बन्धित तथा औद्योगिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल के युक्ति संगत वितरण को सुनिश्चित करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। अतएव लोक हित में, उक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में जल स्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करना आवश्यक समझा गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतएव उक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुनः स्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ. १६ पर)

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में बंधित श्रम का प्रतिषेध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम; विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ कहा जायगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह दिनांक २२ जुलाई, १९७५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषा

२—इस अधिनियम में बंधित श्रम का तात्पर्य उस कार्य या सेवा से है जो किसी व्यक्ति या उसके आश्रितों से किसी शास्ति का भय दिखाकर या किसी ऋण या अग्रिम के मूलधन या ब्याज या दोनों के शोधन या किसी अन्य संविदा या समान आधार के उन्मोचन हेतु बलात् लिया जाय ।

संबंधित श्रम का उत्सादन और प्रतिषेध

३—कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि, परम्परा या करार के आधार पर, जिसे उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७५ की धारा ५ द्वारा शून्य कर दिया गया है, या किसी भी प्रकार के किसी अन्य ऋण के आधार पर, किसी व्यक्ति को बेगार या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम करने को विवश नहीं करेगा । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९७५

रूढ़ि, संविदा आदि का शून्य होना

४—कोई भी रूढ़ि या परम्परा या कोई संविदा या अन्य लिखत (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् की गई या निष्पादित हो) जिसके अधीन या जिसके कारण किसी ऋणी या उसके आश्रितों में से किसी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी से लेनदार के लिए श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगी ।

शास्ति

५—इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या एक हजार रुपये तक जुर्माने का, या दोनों का दंड दिया जायगा ।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति

६—कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या करने वाला है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है ।

निरसन तथा अपवाद

७—(१) उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २१, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा ।

उद्देश्य और कारण

यद्यपि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७५ को लागू करके ऐसे खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में, जिनके पास एक एकड़ तक भूमि थी और जिनकी जीविका का मुख्य साधन खेती थी, सभी कर्ज उन्मोचित कर दिये गये हैं किन्तु दुर्भाग्यवश ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय स्थानों में विद्यमान बन्धित श्रम की कुप्रथा अभी तक जारी है। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि समाज के कमजोर वर्ग के शोषण की इस कुप्रथा को पूर्णतया प्रतिषिद्ध कर दिया जाय ।

२—चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था, अतः उपर्युक्त प्रयोजन की पूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

३—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है ।

राज मंगल पाण्डेय,
श्रम मंत्री।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ब'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९६२) का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० १४, १९६२ में नई धारा ५ का बढ़ाया जाना

२—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अन्य मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

"५—(१) किसी आवेदन या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गई हो, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरुद्ध हो जो उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा यथासंशोधित कोई केन्द्रीय अधिनियम भी है) के अधीन किसी जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में दिये गये या दिये जाने के लिए तात्पर्यित किसी निर्णय या आज्ञा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके की गई हो, भले ही यू०पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, १९४८ के खण्ड ७ तथा १७ के साथ पठित दिनांक १७ मार्च, १८६६ के हर मेजस्टी के लेटर्स पेटेन्ट के खण्ड १० में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गई हो।"

निरसन तथा अपवाद।

३—(१) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २३ मई, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य और कारण

१९६२ के पूर्व लेटर्स पेटेंट के अधीन एकल न्यायाधीश के प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की जा सकती थी। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि अधीनस्थ सिविल न्यायालयों की डिक्रियों तथा आदेशों के सम्बन्ध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिये गये उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं दायर की जायगी।

२—तदुपरान्त, १९७२ में, उपर्युक्त अधिनियम में यह प्राविधान किया गया था कि यू० पी० लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट, १९०१ या यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० के अधीन राजस्व परिषद् द्वारा या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन चकबन्दी निदेशक द्वारा निर्णीत मामलों क सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में दायर नहीं होगी।

३—उच्च न्यायालय में अवशेष कार्य को निपटाने के उद्देश्य से इसी प्रकार का प्राविधान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के ऐसे विनिश्चयों के सम्बन्ध में भी किया जाना आवश्यक समझा गया, जो उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के अधीन किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश के अपीलीय या पुनरीक्षणीय विनिश्चयों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद २२६ से या २२७ द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करके किये गये हों।

४—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतएव इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

राज मंगल पाण्डेय,
न्याय मंत्री।

मसौदा 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५

संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १, १९०४ के दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा १ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा १ की उपधारा (१) में, जहां कहीं भी शब्द "संयुक्त प्रान्त" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायें।

धारा २ का निकाला जाना

३—मूल अधिनियम की धारा २ निकाल दी जाय।

धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना।

"३—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाये गये हों।

(२) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमिति या संलेख के जिसका निर्वाचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे।"

धारा ४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(१) खण्ड (४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(४—क) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा ;";

(२) खण्ड (७) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात:—

"(७—क) 'केन्द्रीय अधिनियम' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ में है ;

(७—ख) 'केन्द्रीय सरकार' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ में ह ;";

(३) खण्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(८—क) 'खण्ड' का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के जिसमें वह शब्द आये, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा ;";

(४) खण्ड (११) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं अर्थात्:—

"(११–क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से होगा ;

(११–ख) 'पुत्री' के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्री भी आयेगी ;

(११–ग) 'दिन' का तात्पर्य अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगा ; ";

(५) खण्ड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(१२–क) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २० की उपधारा (१) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा, और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप आयुक्त भी होगा ; ";

(६) खण्ड (१८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात् :—

"(१९) 'माल' के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुएं तथा पदार्थ भी आयेंगे और विद्युत भी आयेगी ;

(१९–क) 'सरकार' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आयेगी ;

(१९–ख) 'सरकारी प्रतिभूतियों' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा ;

(१९–ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो होगा ;";

(७) खण्ड (२०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

'(२१) 'उच्च न्यायालय' या 'उच्च न्यायालय, इलाहाबाद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा ; ";

(८) खण्ड (२४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२४–क) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में है ; ";

(९) खण्ड (२५) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(२५) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, कैन्टूनमेंट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये वैध रूप से हकदार हो या जिसे उसका नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा ;

(२६) 'स्थानीय निधि' का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा जिसका प्रबन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के, या विशिष्ट विषयों जैसे अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदों के सृजित करने या उन्हें भरने की स्वीकृत देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा, राज्य सरकार का नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय या राजस्व भी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाय ;";

(१०) खण्ड (२८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२८-क) 'माता' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो दत्तक माता भी आयेगी ;";

(११) खण्ड (२९) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२९—क) 'अधिसूचना' या 'सार्वजनिक अधिसूचना' का तात्पर्य राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा, और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा ;" ;

(१२) खण्ड (३३) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात् :—

"(३३-क) 'विहित' का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन जिसमें वह शब्द आया हो, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा ;

(३३-ख) 'जनता' के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आयेगा ;";

(१३) खण्ड (३९) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जाएं, अर्थात्:—

"(३९) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा ;

(३९-क) 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जन-जातियों' के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं ;" ;

(१४) खण्ड (४२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएं, अर्थात् :—

"(४२) 'पुत्र' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आयेगा ;

(४२-क) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, और संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आयेगा ;

(४२-ख) 'परिनियत संलेख' का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उप-विधि से है जो किसी अधिनियमित के अधीन जारी की गयी हो और विधि का बल रखती हो ;

(४२-ग) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद २५८-क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गये कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिये गय प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आयेगी ; ";

(१५) खण्ड (४४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(४४-क) 'अस्थायी अधिनियम' का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा जिसे किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विशिष्ट घटना होने पर या किसी विशिष्ट दिन को, प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है ; ";

(१६) खण्ड (४५) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(४५) 'उत्तर प्रदेश' का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों से होगा ; ";

(१७) खण्ड (४६) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(४६) 'उत्तर प्रदेश अधिनियम' का तात्पर्य—

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनायी गयी किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो इंडियन कौंसिल्स ऐक्ट, १८६१ के या इण्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, १८६१ और १८८२ के या इण्डियन कौंसिल्स ऐक्टस्, १८६१ से १९०९ तक के या गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, १९१५ के अधीन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेंट गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा, या गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मंडल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो ; और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनायी गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किया गया हो, और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी कोई विधि भी आयेगी ; ";

(१८) खण्ड (५०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात् :—

"(५१) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में, समय–समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हों, और सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उच्च न्यायालय द्वारा, उस संहिता की धारा १२२ के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए उस संहिता के प्रति निर्देश हो;

(५२) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह ऐसे राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय समय पर यथा परिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हों ;

(५३) जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी हैं जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिये समनुदेशित किया जाय।"

नयी धारा ४–क का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"४–क—प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में जब कोई शब्द परिभाषित हो तो—

व्याकरणिक रूप–भेद और सजातीय पद

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के तद्रूप अर्थ होंगे।"

नयी धारा ६–क, ६–ख और ६–ग का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"६–क—किसी स्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर जिसको वह अवसित हो, प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय

६–ख––जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाय वहां उस पर धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे कि जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किये जाने पर लागू होते हैं।

अवसान का प्रभाव

६–ग––(१) उपधारा (२) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तः स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या विनियम का पाठ संशोधित करता है, और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली विधि का निरसन अथवा अवसान

(२) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विधि द्वारा किया जाय, और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या अन्य विधि (परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुनः अधिनियमित हुए बिना प्रवर्तन में न रह जाय, वहां तद्द्वारा पाठ में किया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जायगा।"

धारा ८ का संशोधन

८––मूल अधिनियम की विद्यमान धारा ८ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"(२) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति के पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियमिति के नये संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।"

नयी धारा १०–क, १०–ख और १०–ग का बढ़ाया जाना

९––मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:––

"१०–क––उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमिति की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिये रखे गये हैं और वे अधिनियम के भाग नहीं होंगे।

पार्श्व टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना।

१०–ख––जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहां उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह, चाहे जंगम या स्थावर

निगमन का प्रभाव

सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

प्रपत्र में रूप भेद

१०—ग—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाय, वहां उसमें किंचित रूप भेद जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिए प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनायेगा।"

धारा १४ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १४ में शब्द "राज्य सरकार को" निकाल दिये जायें ।

धारा १६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

११—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना ।

"१६—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो वहां, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को जिसे नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसकी पदावधि समाप्त कर सके ।"

नयी धारा १९—क का बढ़ाया जाना

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

आनुषंगिक शक्तियां

"१९—क—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिये कोई शक्ति दी जाय वहां यह समझा जायगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गयी हैं जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिए उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों ।"

धारा २० के ऊपर आये हुए शीर्षक का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २० के ऊपर आये हुए शीर्षक में शब्द "किये गये आदेशों या बनाये गये नियमों आदि" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जाएं ।

धारा २० का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २० को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (१) में "शब्द अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उपविधि" जहां कहीं आये हैं उनके स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख" रख दिये जाएं ;

(ख) उक्त उप—धारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) धारा ४, ४—क, ६, ६—क, ६—ख, ७, ८, ९, १०, १० क, १०—ग, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, १९—क और २८ के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी परिनियत

संलेख के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के संबंध में लागू होते हैं।"

धारा २१ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ में शब्द "अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-विधियों" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेखों" तथा शब्द "जारी की गयी किन्हीं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रखे दिये जाएं।

धारा २२ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "नियम या उपविधियां बनाने या आदेश या अधिसूचनायें जारी करने" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख जारी करने" तथा शब्द "इस प्रकार बनाये गये नियम या उपविधियां या जारी किये गये आदेश या जारी की अधिसूचनायें तब तक प्रभावशील नहीं होंगी" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार जारी किये गये परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे" रख दिये जाएं।

धारा २३ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा २३ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और उसके खण्ड (१), (२), (३), (४), और (५) क्रमशः खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिये जायें और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जाएं, अर्थात्:—

"(२) उपधारा (१) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप उस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन प्रकाशित किये जाने के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुए या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उप-विधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उप-विधियां यथास्थिति, पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी या, उप-धारा (१) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।"

नई धारा २३-क का बढ़ाया जाना

१८—मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मंडल का नियंत्रण

"२३-क—(१) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो जायें किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(२) जहां कि कोई केन्द्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या उसे लागू हो और ऐसे विषयों से सम्बन्धित हो जिसके संबंध में राज्य विधान मण्डल को उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तद्धीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है, वहां ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"।

धारा १४ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा २४ में शब्द "जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई आदेश, बनाई गई कोई स्कीम, बनाया गया कोई नियम या प्रपत्र या बनाई गई कोई उप-विधि, जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति, जारी की गयी किसी अधिसूचना, किये गये किसी आदेश, बनाई गई स्कीम, बनाये गये किसी नियम या प्रपत्र या बनाई गई किसी उपविधि द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया, जारी किया गया या बनाया गया समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "या जारी किया कोई परिनियत संलेख, जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित अधिनियमों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति अथवा जारी किये गये किसी परिनियत संलेख द्वारा अतिष्ठित न कर लिया जाय, उसे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा" रख दिये जायें।

धारा २९ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "किये गये प्रत्येक आदेश, बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाई गई प्रत्येक उप विधि, जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना या बनाये गये प्रत्येक प्रपत्र" के स्थान पर शब्द "या जारी किये गये प्रत्येक परिनियत संलेख में" रख दिये जायें।

अनुसूची का निकाला जाना

२१—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

उद्देश्य और कारण

परिनियत अधिनियमितियों की भाषा को लघुकृत करने और उस दशा में जहां वस्तु-विषय में तादात्म्य हो, पदों में एक रूपता की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ (जिसे आगे उत्तर प्रदेश अधिनियम कहा गया है), साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ के (जिसे आग केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है) समनुकूल अधिनियमित किया गया था। केन्द्रीय अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गये किन्तु उत्तर प्रदेश अधिनियम में इस प्रकार के कोई संशोधन नहीं किये गये। यह वांछनीय समझा गया कि यथा संभव, उत्तर प्रदेश अधिनियम को केन्द्रीय अधिनियम के समनुरूप कर दिया जाय।

२—इसके अतिरिक्त भारत के विधि आयोग ने भी विभिन्न साधारण खण्ड अधिनियमों के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करने के सुझाव रिपोर्ट के प्रारूप में दिये हैं। पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में संयुक्त प्रांत साधारण खंड अधिनियम, १९०४ को संशोधित करने के संबंध में महत्वपूर्ण संस्तुतियां कीं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह संस्तुति की है कि उक्त अधिनियम में इस आशय के उपबन्ध होने चाहिये कि यदि किसी अधिनियम के अधीन कोई नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे प्रकाशन की अवधि एक मास से कम नहीं होनी चाहिये, किन्तु अत्यावश्यक मामलों में राज्य सरकार को इस बात की शक्ति होनी चाहिये कि वह पूर्व प्रकाशन के बिना भी नियम बना सके अथवा उक्त एक मास की अवधि को कम कर सके। उसने यह भी संस्तुति की है कि ऐसे नियमों को राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जाने की समरूप प्रथा होनी चाहिये। राज्य सरकार ने उपर्युक्त सुझावों तथा संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है।

३—यह भी वांछनीय समझा गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम में कतिपय अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किये जायं जैसे कि राज्य विधान मंडल के विभिन्न अधिनियमों में सामान्य रूप से रखी जाने वाली कतिपय परिभाषाओं तथा उपबन्धों को उत्तर प्रदेश अधिनियम में समाविष्ट करना और उक्त अधिनियम की सभी संगत धाराओं को अधीनस्थ विधायन पर लागू करने की व्यवस्था करना। इस अवसर का लाभ कतिपय अन्य गौण तथा परिणामिक संशोधन करने के लिये भी उठाया गया है।

४—तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
विधायिका मंत्री।

पी० एस० यू० पी० एल० १८४ वि० सभा—(६२१)—१९७५—८४०।